

*The question was put and the motion was adopted.*

SHRI P. PRABHAKAR REDDY: Sir, I introduce the Bill.

### THE TOURISM PROMOTION BILL, 2002

SHRI P. PRABHAKAR REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I move for leave to introduce a Bill to provide for measures to promote tourism in the country.

*The question was put and the motion was adopted.*

SHRI P. PRABHAKAR REDDY: Sir, I introduce the Bill.

### THE DOMESTIC VIOLENCE (PREVENTION) BILL, 2001

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ :

"कि घरेलू हिंसा की बढ़ती हुई समस्या के निवारण और विशेषकर

ऐसी हिंसा के पीड़ितों को संरक्षण देने के लिए न्यायालयों को शक्ति प्रदान

करने तथा तत्संबंधी और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक

पर विचार किया जाए।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, घर से लेकर बाहर तक, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त औरत के विरुद्ध हिंसा तमाम पितृ सत्तात्मक समाजों की एक ऐसी क्रूर सच्चाई है जिससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। तथाकथित सभ्य और जनतांत्रिक माल मूल्यों में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी अपने सीने पर हाथ रख कर, दावे के साथ यह नहीं कह सकता कि वह औरतों को समानता के नज़रिए से देखता है या औरतों की वही इज्जत करता है, जिस इज्जत की अपेक्षा वह स्वयं अपने लिए करता है। महोदय, यही कारण है कि औरतों के विरुद्ध हिंसा सर्वव्यापक है। वह किसी स्थान विशेष, किसी देश विशेष, किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी समाज विशेष तक सीमित नहीं है। यह जितनी सर्व व्यापक है उतनी ही सर्व स्वीकृत भी है और इस सर्व स्वीकार्यता के पीछे वह मूल्य व्यवस्था है जिसे हम पितृ सत्तात्मक व्यवस्था कहते हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने अपने उदय के साथ ही सब से पहले औरत को गुलाम बनाया और औरत की इस गुलामी के साथ ही निजी पूंजी के उदय ने आदमी को भी स्वतंत्र नहीं रखा। कहना न होगा कि मातृसत्तात्मक व्यवस्था का अवसान स्त्री की गुलामी के साथ ही स्वयं पुरुष को भी परतंत्र बना गया। इस प्रकार घर में स्त्री गुलाम और पुरुष मालिक बन गया और स्वयं समाज शोषक और शोषित दो भागों में बंट गया। इस पितृसत्तात्मक समाज ने औरत के हाथ से उत्पादन के तमाम अधिकार छीनकर उसे घर की चारदीवारी में कैद कर दिया और उस से उस की तमाम सृजनात्मक क्षमता को छीनकर उसे आदमी के काम आने वाली एक भोग की वस्तु के

रूप में परिणत कर दिया। पितृसत्तात्मक समाज ने उस के लिए एक ऐसी पूरी मूल्य व्यवस्था की संरचना कर दी जिस में देवी, दासी, कुलटा, पतिव्रता, बेचारी, रक्षणीया, सुंदरी, कुरुपा, परित्यक्ता, रमणी और भार्या जैसे मिथक उस के लिए गढ़ दिए गए। जहां पुरुषों के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष थे तो औरतों के लिए पतिव्रत धर्म ही स्त्री का परम कर्तव्य समझा गया और इस से गिरी हुई स्त्रियां पतिताएं और कुलटाएं कही गयीं। इस के साथ ही स्त्रियों के लिए समाज में एक पूरे कारावास की संरचना कर दी गयी जिसे हम पति का घर कहते हैं। घर कैसा भी क्यों न हो, उस का मालिक भले ही पति हो या पति के रिश्तेदार हों, चाहे वह घर पति या पत्नी की संयुक्त कमाई से बनाया गया हो या फिर पत्नी की कमाई से, लेकिन घर का मालिक पति ही होगा और उस घर में जीना, मरना उस औरत की नियति बताई गई। स्त्री की अस्मिता, उस की सारी क्षमताएं, उस का सारा मानवीय सार, उस के मालिक यानी घर के मुखिया के खाते में अंतर्भुक्त कर दिया गया और स्वयं स्त्री भी इन पितृसत्तात्मक मूल्यों से बरी नहीं रह सकी। उपसमाध्यक्ष जी, सीमोन-द-बोउवार के शब्दों में स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री बनाई जाती है और राजेश जोशी के शब्दों में कहूं तो "लड़की को जन्म देकर उदास है एक स्त्री लड़की को जन्म देकर डर से कांप रही है एक स्त्री इतनी जटिल बना दी गयी है उस की दास्तां कि स्त्री ही सब से ज्यादा क्रूर स्त्री के बारे में स्त्री ही पूछ रही है स्त्री से कि क्यों नहीं लायी स्त्री धन अपने साथ बहुत सामान्य लेकिन डरावना दृश्य है पुरुष की सत्ता का गुलामी के खूनी खेल में दर्शक दीर्घा में बैठा पुरुष मन ही मन मुसक रहा है।" उपसमाध्यक्ष महोदय, इसी घर की चारदीवारी के अंदर हर रोज स्त्री पर जुलूम और क्रूरता की दर्दनाक दास्तां लिखी जाती है। इन कहानियों का हर घर में अंत हो, घर घर बने न कि प्रताड़ना या यंत्रणा का निवास स्थान और इसीलिए घरेलू हिंसा को रोकने के लिए मैं इस विधेयक को लाना चाहती हूं।

उपसमाध्यक्ष महोदय, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की समस्या पर सारी दुनिया का ध्यान केन्द्रित करने के लिए 1975 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में महिलाओं का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था और उस में इस विषय पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। इस के बाद 1976 से 1985 तक महिला दशक में इसी विषय पर चर्चाएं होती रहीं। दूसरे और तीसरे अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलनों में भी लगातार इस विषय पर चिंता जतायी जाती रही। वर्ष 1979 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं के विरुद्ध सभी तरह के भेदभावों के उन्मूलन संबंधी कन्वेंशन "सीडो" की घोषणा की। इस के बाद 1985 में नैरोबी में फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी अनुमोदित हुई जिस में लिंग विशिष्ट हिंसा को गंभीर जुर्म माना गया तथा इस तरह की हिंसा को रोकने के लिए विशेष कानूनी प्रावधान तथा राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने की बात कही गयी। उस के बाद 1993 में मानवाधिकारों संबंधी वियेना घोषणा से हम सभी परिचित हैं और तत्पश्चात् ही संयुक्त राष्ट्र की महासभा में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन संबंधी घोषणा जारी की गयी और सर्वोपरि बीजिंग में चौथे अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन पारित किया गया जिस में इस विषय पर व्यापक चर्चा हुई। और सभी राष्ट्र राज्यों को यह अपील की गई कि वे इस विषय पर अपने-अपने देशों में कानून बनाएं और हिंसा को रोकने का काम करें, लेकिन बीजिंग कांफ्रेंस के पांच वर्षों बाद जब यूनिसेफ ने घरेलू हिंसा के बारे में अध्ययन किया तो यूनिसेफ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इन पांच वर्षों में घरेलू हिंसा को रोकने के संबंध में कोई भी खास प्रगति नहीं हुई है बल्कि घरेलू हिंसा सभी देशों में महिलाओं और बालिकाओं के हितों को नकारती हुई बढस्तूर जारी है। यूनिसेफ के इसी अध्ययन में यह बताया गया है कि इस

बीच 44 देशों में घरेलू हिंसा के संबंध में विशेष कानून बनाए गए हैं। इसमें 12 देश लातिन अमरीका के हैं। यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि घरेलू हिंसा मानव अधिकारों पर एक सबसे जघन्य कुठाराघात है। यह काम कोई अनजान व्यक्ति नहीं करता, बल्कि परिवार के लोग, जिन पर महिलाएं विश्वास करती हैं, जो उनके अपने आत्मीय रिश्तेदार होते हैं, जो निकट के रिश्तेदार होते हैं, वे लोग ही करते हैं। इस हिंसा के द्वारा औरतों और बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। यूनिसेफ ने इस पर भी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। इस हिंसा के चलते औरतों की वित्तीय सुरक्षा तो खतरे में पड़ जाती है, उनके आत्म सम्मान, उनकी अस्मिता उनका स्वतंत्र विकास भी रुक जाता है। यूनिसेफ ने यहां तक अपने अध्ययन में कहा है कि इस घरेलू हिंसा के चलते औरतें आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाती हैं। इसी आकलन के आधार पर यूनिसेफ ने औरतों के विरुद्ध घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सारी दुनिया के देशों से उचित उपाय करने की मांग की है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में भी महिला आंदोलन लगातार इस पर अपनी बिलत जाहिर करता रहा है और सरकार से लगातार इस विषय में कानून बनाने की मांग करता रहा है। उसी की परिणति यह है कि इस बीच में एक सरकारी विधेयक हमारे बीच में आ चुका है। महोदय, हमारे देश में तो स्थिति बहुत ही भयावह है। हर रोज अखबारों में स्त्रियों पर जुल्मों की जो कहानियां प्रकाशित होती हैं, उन्हीं से पता चलता है कि घर की चारदीवारी के अंदर कितने रूपों में स्त्रियां प्रताड़ित होती हैं। हर स्त्री अपने जीवन के छोटे-छोटे अनुभवों से इन तमाम कहानियों की सच्चाई को अच्छी तरह समझ सकती है। शुद्ध रूप में शारीरिक पिटाई से लेकर भावनात्मक यौन शोषण करना, हमेशा एक आतंक के परिवेश में रहना, भोजन और जीने की न्यूनतम जरूरतों तक से वंचित करना और स्त्रियों को सताने के लिए बच्चों तक को लेकर ब्लैकमेल करना, ये सब ऐसी चीजें हैं, जिन्हें आज अगर घर-घर की कहानी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कवियत्री एलीजा बिलकिंसन ने औरतों की पीड़ा को इन शब्दों में व्यक्त किया है -

*Poor wives are made to  
honour and obey,  
must yield into a husband's  
lordly sway.  
Whether you live in peace,  
or horried strife,  
you must stay with him, aye,  
and that for life.  
If he proves kind,  
then happy you will be,  
if other ways - Ohi  
dreadful; misery.*

उपसभाध्यक्ष महोदय, कैफी आजमी के शब्दों में कहूँ तो -  
 गोशे-गोशे में सुलगती है पिता तेरे लिए  
 फर्ज का भेष बदलती कजा अदा तेरे लिए  
 कहर है तेरी हर इक नर्म अदा तेरे लिए  
 जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए ।

महोदय, हमारे देश में महिलाओं के हितों और उनकी सुरक्षा के लिए कई कानून बने हुए हैं और यह कहना बहुत आसान है कि स्त्रियाँ अपने पर जुल्म के प्रतिकार के लिए क्यों नहीं अदालतों का दरवाजा खटखटाती हैं, क्यों नहीं अदालतों के जरिए अपनी सुरक्षा हासिल करती हैं । लेकिन, अदालत का रास्ता भी कितना यंत्रणादायी होता है और खासतौर पर स्त्रियों के प्रति कितने भयंकर पूर्वाग्रहों से भरा होता है, सर्वोपरि कितना खर्चीला होता है कि कोई भी स्त्री आसानी से वहाँ जाने की कल्पना भी नहीं कर सकती है । अक्सर स्त्रियों को समाज में जीने का बिना कोई सहारा दिए हुए पतियों द्वारा त्याग दिया जाता है । हमारे समाज में बहु विवाह कानूनन् अपराध होने के बावजूद पुरुष बेखौफ दूसरी पत्नी रख लेता है, विवाहेतर संबंधों को तो आज भी पुरुषों का जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, सारे तथ्य इस बात के गवाह हैं कि हमारे देश में स्त्रियों के पास अपनी संपत्ति बोलकर कुछ नहीं है । स्त्री के पास जो कुछ भी होता है या तो उसके पति का होता है या ससुराल वालों का होता है । इसीलिए एंगेल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "परिवार, निजी सम्पत्ति और राज्य की उत्पत्ति" में परिवार के पूँजीवादी बांधे की व्याख्या करते हुए कहा है कि 'घर के अंदर स्त्री सर्वहारा और पति बुर्जवा होता है । ससुराल में शादीशुदा औरतों की अधिकार विहीनता के साथ ही वास्तविकता यह है कि अपने पिता के परिवार में भी बेटी के अधिकार नहीं के बराबर होते हैं । एक बार विवाह हो जाने पर बेटी को पराई समझा जाता है । जिस घर में डोली गई, वहीं से अर्धी उठेगी, यह धारणा इतनी बद्धमूल है कि पति कितने ही जुल्म क्यों न करे, ससुराल के घर को त्यागने की कल्पना भी औरत कर नहीं पाती है । अक्सर माता-पिता की भी यही कोशिश होती है कि स्त्री तमाम कष्ट सहकर भी ससुराल में अपनी अंतिम सांसें ले ।' इसके अलावा पति की मृत्यु हो जाने पर हमारे समाज में विधवाओं की जो कारुणिक स्थिति है, मैं समझती हूँ कि इससे हम और आप सभी परिचित हैं । सदियों से चले आ रहे इन जुल्मों में आज भी ज्यादा परिवर्तन नहीं हुए हैं । विधवा स्त्री परिवार की सबसे अधिक अधिकार विहीन स्त्री होती है । एक मनुष्य के रूप में जीने के तमाम अधिकारों से उसे वंचित कर दिया जाता है । विधवा के बारे में हमारे अनेक शास्त्रों में जो तमाम कटुक्तियाँ की गई हैं, वे आज भी हमारे घर की चारदीवारी के अंदर का सच हैं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इस आधुनिक जगत की ओर भी कई जटिल समस्याएँ हैं । इनमें दहेज तो एक सबसे बड़ी समस्या है ही । ऐसे भी अनेक मामले सामने आए हैं जब विवाह टूट जाने पर पुरुष उसे नकारने की कोशिश करता है, विवाह हुआ ही नहीं था, यह साबित करने की कोशिश करता है और बहुधा हम देखते हैं कि अदालतों में बहुत से तकनीकी कारणों की वजह से पुरुष सही साबित हो जाता है और स्त्री गलत करार दी जाती है ।

आज के जमाने में हर व्यक्ति विभिन्न प्रकार के तनावों से जूझ रहा है । जीवन में अनिश्चयता है, अपने काम के स्थल पर वह प्रताड़ित होता है और जीवन की यह अनिश्चयता ही

उसे घर में स्त्री पर जुल्म डाने के लिए बाध्य करती है। वह अपना गुस्सा अपने घर में जाकर अपनी पत्नी पर निकालता है। मजदूरों के जीवन में आज जो निराशा है, वह निराशा भी उनकी पत्नियों पर उनकी पिटाई के रूप में फूटती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार विवाहिता स्त्री पर बलात्कार भी एक ऐसा मसला है जो जीवन की एक क्रूर सच्चाई है और इस सच्चाई को भारतीय स्त्री हर रोज़ मौन होकर स्वीकार करती है। महिला संगठनों के सामने ऐसे अनेक मामले आते हैं जब औरतें अपने ही पतियों द्वारा बरसों से इस प्रकार के जुल्मों का शिकार बनती हैं। इधर के वर्षों में यौन-हिंसा में जो वृद्धि हुई है, उसके पीछे वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रदूषण का प्रभाव भी कम नहीं है। इसकी मार भी सबसे ज्यादा उन औरतों पर ही पड़ती है जो घरों के अंदर हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार दुष्कर्म के मामलों में 85 प्रतिशत मामले सगे-संबंधियों द्वारा किए गए अपराधों के मामले होते हैं। यही वजह है कि अब औरत का घर वास्तव में उसका घर रहे न कि उसका प्रताड़ना-स्थल, इसके लिए सरकार की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर घरों की निजता, उनकी प्राइवैसी, औरत की यंत्रणा का कारण बनती है तो मैं समझती हूँ कि कभी-कभी यह जरूरी भी हो जाता है कि इस निजता को तोड़ा जाए, घरों के वास्तविक यथार्थ को बाहर किया जाए, सार्वजनिक किया जाए और हमारे घर अगर ऐसे घर हैं कि जहाँ कोई खिड़की नहीं है तो उस घर के अंदर हमें खिड़की खोलने की व्यवस्था भी करनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, स्वस्थ परिवार ही स्वस्थ समाज की सबसे बड़ी गारंटी होता है। इसीलिए परिवार की सच्चाई से आँख चुराकर चलने का कोई कारण मुझे नज़र नहीं आता और यही कारण भी है जिसके चलते घरेलू हिंसा को रोकने के कानूनी प्रावधान को आज सारी दुनिया के स्तर पर महसूस किया जा रहा है। खुद इस सरकार ने भी इस आशय से एक विधेयक तैयार किया है जो संसद की स्थाई समिति के पास विचाराधीन है। लेकिन हर स्थिति में किसी भी कानून की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस कानून के पीछे का जो मूल उद्देश्य है उस मूल उद्देश्य के पीछे सच्चाई कितनी है, उस उद्देश्य में सफाई कितनी है। उपसभाध्यक्ष महोदय, आज सारी दुनिया के पैमाने पर इस बात को स्वीकार किया जा रहा है कि औरतों पर घरेलू हिंसा औरतों के मानवाधिकारों का हनन है और इसी मानदंड पर घरेलू हिंसा संबंधी तमाम प्रश्नों पर विचार किया जाना चाहिए। कानून में घरेलू हिंसा से क्या तात्पर्य है यह स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, घर पर पति के साथ पत्नी का कितना अधिकार है यह भी स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। इसके अलावा औरतों को हिंसा से बचाने के लिए किस तरह के उपाय किए जाने चाहिए, हिंसा से पीड़ित जो औरत है उसको राहत देने के लिए कैसी व्यवस्था की जानी चाहिए, अदालती कार्यवाहियाँ सरल हों, सीधी हों और कानून पर जो अमल करने वाले लोग हैं वह हमारे संविधान में लिखित उद्देश्यों के प्रति इमानदार हों और इसके साथ ही घरेलू हिंसा को रोकने के लिए जो अन्य गैर सरकारी संगठन हैं तथा जो व्यक्ति हैं तथा हमारे देश में महिलाओं के अधिकारों के लिए जो महिला आंदोलन काम कर रहे हैं उनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए उनकी भूमिका को भी कानून में यथोचित स्थान दिया जाना चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार द्वारा तैयार किए गए घरेलू हिंसा संबंधी विधेयक को देखा है और मैं समझती हूँ कि मंत्री महोदय भी उससे अच्छी तरह परिचित होंगी, उसकी खामियाँ जो महिला संगठनों ने उठाई हैं उसकी तरफ भी ध्यान दिया होगा। जब मैं इन तमाम मापदंडों पर इस सरकारी विधेयक को देखती हूँ तो मुझे वह आधा अधूरा और औरतों के विरुद्ध दिखाई पड़ता

3.00 P.M.

है। जब यह विधेयक पेश किया जा रहा था उसी समय हमने इसका तीव्र विरोध किया था और हमने यह कहा था कि यह विधेयक घरेलू हिंसा से उत्पीड़ित महिलाओं के हितों को साधने के बजाए उत्पीड़कों के हाथ का खिलौना बन जाएगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, उस विधेयक में घरेलू हिंसा को जिस तरह से परिभाषित किया गया है उसमें उसी पति को घरेलू हिंसा का अपराधी माना जाएगा जो आदतन हिंसक हो और मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वह इस बात को समझेगी, इस सच्चाई को समझेगी और संवेदनशीलता के साथ इस पर विचार करेंगी कि यह कहां तक उचित है कि अगर यह प्रमाणित नहीं हो जाता कि औरत पर हमला करने वाला आदमी आदतन ऐसा करते हैं तब तक उसे हिंसा नहीं करार देंगे। घरेलू हिंसा के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस प्रकार के कानून का सुझाव दिया है उसके भी यह बिल्कुल विपरीत है। भारत सरकार सीडो की हस्ताक्षरकर्ता है। सीडो में औरतों के विरुद्ध हिंसा को बहुत ही साफ शब्दों में परिभाषित किया गया है। लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकारी विधेयक में इसकी पूरी तरह से अवहेलना कर दी गई है। सरकारी विधेयक में घरेलू हिंसा को परिभाषित करने की जिम्मेदारी भी जजों पर छोड़ दी गई है। यह जज की मरजी पर होगा कि वह किसे घरेलू हिंसा माने और किसे घरेलू हिंसा न माने। इसी प्रकार सरकारी विधेयक में अनेक अस्पष्टताएं हैं जिसकी वजह से वह उत्पीड़ित स्त्री के बजाए उत्पीड़क के बचने का रास्ता ही मुहैया करता है। मसलन इस विधेयक की धारा 4(2) में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी या दूसरे की सम्पत्ति को बचाने के लिए खुद की रक्षा के लिए हिंसा करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस प्रकार हमलावर पुरुष को हमेशा अपने बचाव का एक रास्ता दे दिया गया है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं समझ रही हूँ कि अगर आप भी इस धारा को देखेंगे तो स्वयं समझ जाएंगे कि इसका वास्तविकता से क्या संबंध है और यह हिंसा को किस तरह दूर करेगा। वह हमेशा पत्नी पर यह आरोप लगा सकता है कि वह उसकी सम्पत्ति पर हाथ साफ कर रही थी और इसलिए उसकी पिटाई की गई। इसी प्रकार सरकारी विधेयक में एक प्रोटेक्शन आफिसर की नियुक्ति, उसके कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में कुछ प्रावधान है। प्रोटेक्शन आफिसर को इतने ज्यादा अधिकार दिए गए हैं कि हमेशा उसके दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। उसे घरेलू हिंसा से शिकार महिला और अदालत के बीच में मध्यस्थ का स्थान दिया गया है जो प्रताड़ित महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मामले के निबटारे की भी कोशिश कर सकता है और मैं समझती हूँ कि हमारे यहां इस तरह के प्रोटेक्शन आफिसर्स महिलाओं के प्रति किस तरह से पूर्वाग्रही रहते हैं तथा उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि किसी प्रकार समझा बुझाकर उसे वापिस अपने उसी घर में भेज दिया जाए। अगर इस तरह की हमारी अवधारणा रहेगी, इस तरह के हम कानून लेकर आयेगे, तो मैं समझती हूँ कि यह महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को कतई रोक नहीं पायेगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, इससे इस बात की भी आशंका बनी रहेगी कि ये अधिकारी महिला को वापस उसी घर में जाने के लिए मजबूर करेंगे। इस प्रकार की नियुक्ति से नीकरशाही का दबदबा बढ़ेगा और कानून की कार्यवाही भी विलम्बित होगी।

इसके अलावा इतने बड़े पैमाने पर प्रोटेक्शन आफिसर्स की नियुक्तियां व्यावहारिक भी दिखाई नहीं पड़ती। सरकारी विधेयक की इन तमाम कमजोरियों को देखते हुए मैंने यह निजी विधेयक इस सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया है। इसमें इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि हिंसा की शिकार महिला को तत्काल राहत और सुरक्षा मिल सके। इसी प्रकार मैंने स्वयं

संघी संगठनों, प्रतिष्ठित महिला संगठनों की भूमिका को भी घरेलू हिंसा को रोकने के मामले में कानूनी स्वीकृति देने की बात की है। इन्हीं तमाम पक्षों को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक में मैंने घरेलू हिंसा को संयुक्त राष्ट्र संघ के माडल विधेयक के अनुरूप परिभाषित किया है। इस विधेयक के लक्ष्य और दिशा को भी स्पष्ट रखने तथा इसको समझने में किसी प्रकार की अड़चन न रहे, इस बात की मैंने पूरी कोशिश की है। मेरा मानना है कि अगर यह विधेयक पारित होता है तो इससे भारत में महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा को हम रोकने में कुछ हद तक आगे बढ़ सकेंगे और पितृ सत्तात्मक व्यवस्था की जो मजबूत बुनियाद है, उस मजबूत बुनियाद पर एक करारी चोट कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह विधेयक इस सदन के विचारार्थ प्रस्तुत कर रही हूँ। धन्यवाद।

**श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश) :** धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आदरणीया श्रीमती सरला माहेश्वरी के इस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी बात शुरू करूँ, उससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप भी जानते हैं और सरला जी भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ कि अंततः सरकार की ओर से इस विधेयक का उत्तर क्या आना है। यह सौभाग्य की बात है कि उत्तर देने के लिए यहां पर जो हमारी मंत्री महोदया विराजित हैं, वह स्वयं एक महिला हैं, संभ्रांत और भद्र महिला हैं, कुलीन महिला हैं। जब वह खड़े होकर इस बात को कहेंगी "चूंकि सरकार एक व्यापक बिल के साथ इस पर विचार कर रही है, इसलिए सरला से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि वे इसे वापस ले लें तो बड़ी कृपा होगी।" मैं उम्मीद करता हूँ कि आज रीता जी की तरफ से इस तरह का वक्तव्य नहीं आना चाहिए और यदि आता है तो यह उनकी लाचारी होगी, विवशता होगी। सरला जी भी मेरी इस बात से सहमत हो सकती हैं। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जो कागज-प्रपत्र हमारे सामने है, वह इस विधेयक के उद्देश्यों के बारे में कहते हुए सबसे अंत में जो टिप्पणी दी गई है, सबसे अंतिम पैराग्राफ में उद्देश्य और कारणों का कथन। सरला जी लिखती हैं कि यह "जरूरी हो जाता है कि एक स्वतंत्र, जनतांत्रिक और न्यायसम्मत समाज के विकास हेतु महिलाओं के प्रति एक तरह से ऐसी संस्थागत हिंसा के खिलाफ विशेष कानून बनाकर इस हिंसा को समाप्त किया जाए। अतः यह विधेयक प्रस्तुत है"। इन तीन पंक्तियों को एक साथ पढ़ने से ही हम समझ जाते हैं कि बात कितनी गहरी है और विधेयक के लिए प्रस्तावना देने वाली हमारी बहन क्या कहना चाहती हैं। यहां हम बहस कर रहे हैं। एक लम्बा इतिहास है महिलाओं के उत्पीड़न का। वैसे भारत वर्ष में इस श्लोक को बार-बार उद्धृत किया जाता है,

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः"

"जहां नारी की पूजा होती है वहां पर देवता रमण करते हैं।" मैं समझता हूँ कि जिसने भी इस ऋचा का निर्माण किया होगा, उन्होंने अपने आप एक लकीर खींच दी कि उन्होंने पुरुष को देवता बना दिया। ... (व्यवधान) ... आधा पढ़ा ही नहीं जाता है और उसके आधे का हम लोग दुरुपयोग करते आ रहे हैं। हम पुरुष सत्तात्मक समाज की बात करते हैं जबकि भारत में दोनों सत्तात्मक समाज हैं। हमारे यहां पुरुष सत्तात्मक भी हैं और अगर हम उत्तर पूर्व में जाएं तो मातृ सत्तात्मक समाज भी हैं। जिस तरह से हमारे यहां पिता का नाम लिखवाना होता है, उसी तरह से उस क्षेत्र में मां का नाम लिखवाना आवश्यक हो जाता है। यह एक कहावत नहीं है, यह एक सत्य है। उपसभाध्यक्ष महोदय, आप सब जानते हैं और इसको यदि विनोद में नहीं लिया जाए तो यह बहुत

गंभीर बात है। मां एक सत्य है और पिता एक विश्वास है। इसको विनोद में नहीं लिया जाए और गम्भीरता से इस पर विचार किया जाए। क्योंकि मां सत्य है। वह जानती है और दुनिया जानती है कि उसके गर्भ से शिशु पैदा हुआ है। इसी तरह यह भी सच है कि पिता विश्वास है। अगर मां साफ मना कर दे कि यह तेरा पिता नहीं है तो बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है।

**श्री मनोहर कांत ध्यानी :** मां श्रद्धा है, पिता विश्वास है। बात वही है जो आप बोल रहे हैं लेकिन मां श्रद्धा है।

**श्री बालकवि बैरागी :** मैं कह रहा हूँ कि मां सत्य है। श्रद्धा कहकर आप फिर उसे दोयम कर रहे हैं। मुझे क्षमा कीजिएगा। सत्य से ऊपर श्रद्धा नहीं है, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचीरी) :** आपको अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा।

**श्री बालकवि बैरागी :** सत्य सर्वोपरि है और इस संसार का सबसे बड़ा सत्य मां है क्योंकि वही गर्भ को धारण करती है। पिता तो विश्वास है। अगर मां सिर्फ इतना भर कह दे कि "बेटा ! यह तेरा पिता नहीं है तो पिता की जो स्थिति होगी, दुनिया इस सारी चीज को जानती है।" मैं कोई लम्बी चौड़ी बहस यहां पर नहीं करना चाहता लेकिन सत्य और विश्वास के बीच में जो हिंसा की लकीर खींची, उस पर सरला जो ने बहुत महत्वपूर्ण विधेयक आपके सामने रखा है। महोदय, अभी-अभी इन्हीं दिनों की, 15 दिन के भीतर की दो घटनाएं अगर आप समझ लेंगे, सुन लेंगे और आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी - हम सब यहां पढ़े-लिखे लोग बैठे हैं। इस सदन का सौभाग्य है कि कोई अनपढ़ नहीं है। सौभाग्य है इस सदन का कि सब लोग बौद्धिक स्तरों को छूने वाले लोग हैं। सब लोग ऐसे सदस्य हैं जिनकी बात को देश गंभीरता के साथ सुनता है और समझने की कोशिश करता है। अभी आपने पढ़ा होगा, मैं प्रदेशों के नाम लेकर वहां की सरकारों पर उंगली नहीं उठाना चाहता और मुख्य मंत्रियों के नाम लेकर उनको परेशान करने की कोशिश नहीं करना चाहता लेकिन कहानियां सत्य हैं। अभी अभी एक घटना घटी है। एक बहन अपने पति या ससुर से पूछे बगैर किसी पड़ोसी के साथ एक तीर्थ यात्रा पर चली गयी। 11-12 दिन के बाद जब वह वापिस लौटी तो उस बहन के साथ जो सलूक उसके रिश्तेदारों ने, उसके पति ने और उसके ससुर ने किया, वह सलूक कंपा देने वाला है। सलूक यह किया गया कि "तू बगैर पूछे गयी है, तू तीर्थ यात्रा पर गयी है, अगर तू पवित्र लौटी है तो हम तेरे हाथ पर दहकते हुए लोहे की छड़ें रखेंगे और अगर तेरे हाथ नहीं जलेंगे तो हम मानेंगे कि तू सती है और पतिव्रता है। अगर तेरे हाथ जल जाएंगे तो हम समझ लेंगे कि तू कुलटा है।" यह अभी की बात है, दस दिन भी नहीं हुए हैं। बहुत रोमांचकारी है। अंततः उस महिला के चीखने धिल्लाने के बावजूद उसके दोनों हाथों पर उन्होंने नीचे पीपल के पत्ते रखे और उसके ऊपर गरम गरम लोहे की सलाखें रखीं। जैसा कि होता है, अग्नि का नियम है कि वह जलती है। उस बहन के दोनों हाथ जले हुए हैं और आज भी वह उपचार करा रही है और पूरी निर्लज्जता के साथ उसके परिवार ने कहा कि "चाहे जो हो जाए, यह वापिस हमारे घर में नहीं आ सकती।" यदि आपने कल के अखबार देखें हों तो आपको पता चला होगा - मैं फिर किसी भी प्रदेश का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन यह आचरण की, दुश्चरण की, निर्ममता की, क्रूरता की पराकाष्ठा है कि एक महिला पर संदेह होने पर उसके साथ पहले पांच लोगों ने बलात्कार किया और फिर उसको निर्वासन करके सारे शहर में घुमाया गया और कहा गया कि अब तू गांव से निकल जा।



ऐसे प्रकरण जब सामने आते हैं तो हमें रह रहकर विचार आता है कि हम आखिर क्या हैं, हम कहां हैं ? नारी का हम कितना सम्मान करते हैं और कहते हैं कि हमारे यहां धन की देवी लक्ष्मी है, विद्या की देवी सरस्वती है, रक्षा की देवी दुर्गा है । कुल मिलाकर हम क्या करना चाहते हैं ? मैं कहना चाहता हूं कि नारी ईश्वर की कोमलतम सृष्टि है, कोमलतम सर्जना है । उससे ज्यादा कोमल ईश्वर ने कोई चीज नहीं बनायी है क्योंकि उसको वात्सल्य और ममता दोनों दी हैं । उसको मातृत्व दिया है । पुरुष को यह सम्पदा नहीं दी है । महोदय । आप भी पुरुष हैं, मैं भी पुरुष हूं लेकिन ईश्वर ने इस सम्पदा से आपको और हमें वंचित रखा है । हमारे पास पितृत्व है लेकिन मातृत्व नहीं है और आप सब जानते हैं, दुनिया जानती है कि " ईश्वर सशरीर सबके साथ रहना चाहता था किन्तु ऐसा कर नहीं सका इसलिए उसने मां बना दी ।" मां ईश्वर का प्रतिरूप है और हम उसी के साथ सबसे ज्यादा दुराचार करते हैं । मैं यू.एन.ओ. की बात या देश के कानूनों की बात नहीं करना चाहता लेकिन माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हम स्वयं किस तरह का आचरण करते हैं, इन सारी बातों को सोचना पड़ेगा । महोदय, मैंने मेरी मां की उस पीड़ा को देखा है । खुद मैं भुक्त भोगी हूं, मैं गवाह हूं कि जब मेरे पिता गुस्से में आकर मेरी मां को मुझ सहित घर से निकाल देते थे तो पता नहीं हम लोगों को कहां कहां रात गुजारनी पड़ती थी और पता नहीं किस किस तरह से हमें वे दिन गुजारने पड़ते थे । मैं स्वयं उसका सजा यापता पुरुष आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूं । हम लोगों ने कितना दुराचार किया है, कितना अन्याय हम लोग उन पर करते हैं, इस पर हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा । और दुराचार भी तरह तरह के करते हैं । मुझे इन बहनों से या जितनी भी हमारी सदस्य बहनें यहां बैठी हैं, चाहे वे मंत्री हों या सामान्य सदस्या हों, ये स्वयं भी कितनी खुद के खिलाफ हैं, कभी आप इस पर विचार करें । ये स्वयं कितनी अपनी दुश्मन हैं, यह भी देखें । अगर हमारे सामने कब्रें बहन शादी होने के बाद आ जाए और कहे कि मुझे आशीर्वाद दीजिए तो हमारे यहां प्रचलित आशीर्वाद है और हमें कहना पड़ता है "पुत्रीवती भव" । मैं कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं कहा जाता "पुत्रीवती भव" ? यदि हम कह दें "पुत्रीवती भव" तो सारे घर के लोग नाराज हो जाते हैं । वह खुद भी चाहती है कि मेरे यहां पुत्र हो, पुत्री न हो । दूसरी चीज यह कि वे स्वयं की विरोधी कितनी हैं ? हमारे यहां एक कहावत बन गई है, भारत में आशीर्वाद बनता चला जा रहा है कि "अखंड सौभाग्यवती भव" । मुझे आश्चर्य होता है कि "अखंड सौभाग्यवती भव" का मतलब क्या हुआ ? मतलब यह हुआ कि तेरे पति से पहले तू मर जाए, तेरा पति बाद में मरे । सीधी सी बात है यह, यानी हम उसकी मृत्यु की कामना पहले से करने लगते हैं और यदि हम यह आशीर्वाद न दें तो वह नाराज हो जाती है कि आपने मेरे सुहाग की कामना नहीं की ।

महोदय, मंगलसूत्र महिला के गले में डाला गया, पुरुष के पास कोई साधन नहीं है जिससे वह सिद्ध कर सके कि मैं भी एक ठीक-ठीक पति हूं, मैं भी ठीक-ठीक आचरण करने वाला हूं । व्रत-उपवास सारे महिलाओं को दिए गए, पतियों के पास कुछ नहीं । स्त्री बेचारी आज भी सुहाग का व्रत करती है, कहती है मेरे सुहाग का व्रत है और हम पतियों से पूछते हैं कि तुम काहे का व्रत करते हो तो बोले कि हम तो फिट रहें, इसका व्रत करते हैं । बहुत आश्चर्य की बातें होती हैं, विनोद किया जा सकता है लेकिन इन सारी बातों पर गंभीरता के साथ विचार किया जाना चाहिए । उनके साथ जो क्रूरता होती है, जो हिंसा होती है, अमी मैंने विदेश के बारे में पढ़ा, विदेशी भी इससे अछूते नहीं रहे हैं, वे हमसे एक कदम आगे हैं । मैंने पढ़ा कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की मध्यमा अंगुली को दांत से काटकर तोड़ दिया और जब उसका इलाज नहीं हो पाया तो उसको सजा हो गई । यह हाल ही की बात है । उससे जब पूछा गया कि तुमने ऐसा

क्यों किया तो वह बोला कि यह मेरी माशुका है और मुझसे बात ही नहीं करती। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सब जगह ऐसा नहीं है लेकिन भारतवर्ष में इस कानून की आवश्यकता है। इससे ज्यादा सख्त कानून की आवश्यकता है। जितना प्रस्ताव सरला बहन ने किया है, उससे ज्यादा सख्त कानून की आवश्यकता है और यदि हम सख्त कानून नहीं बनाएंगे तो यह हिंसा अभी घरेलू है, सामाजिक भी होती चली जा रही है, पता नहीं किस-किस तरह से हम मां-बहनों को सजाएँ देते चले आ रहे हैं। पता नहीं हमने क्या-क्या उसके तौर-तरीके निकाल रखे हैं लेकिन अधिक से अधिक हमें सख्त कानून बनाने चाहिए, बनाने पड़ेंगे। इसका मूल कारण क्या है? यदि हम इसके मूल में जाएं, जैसा सरला जी ने अपने वक्तव्य में कहा है, मैं उसको वोट नहीं करना चाहता लेकिन मूल कारण क्या है? हमारे यहां भारतवर्ष में सबसे अधिक दुर्दशा किसी की होती है तो वह हिंदू विधवा की होती है। मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, जिस देश में, जिस समाज में, जिस धर्म में, जिस वर्ग में एक विधवा को अपशकुन माना जाए, वह कहीं सामने न आ जाए, सामने आएगी तो अपशकुन हो जाएगा, इस प्रकार की स्थिति है। इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, कम से कम दो धर्म हमारे पास ऐसे हैं, दो मान्यताएं ऐसी हैं हमारी जानकारी में जिनसे हमें सीखना पड़ेगा और उन दोनों धर्मों का नाम मैं लेना चाहता हूँ बहुत सम्मान के साथ। हमें सिखों से सीखना चाहिए और इस्लाम से सीखना चाहिए। उन्होंने अपनी विधवाओं को समाज के भरोसे नहीं छोड़ा है। उन्होंने अपनी विधवाओं की व्यवस्था की है समाज के अंदर। इन दो चीजों से भी अगर हम सीख लेंगे तो शायद हम इसे जड़ से समझने की कोशिश करेंगे। इस देश में विधवा मंगलकार्यों में पहल नहीं कर सकती, सामने नहीं आ सकती, माथे पर बिंदिया नहीं लगा सकती, श्रृंगार नहीं कर सकती, एक ऐसा जीवन उसे जीना पड़ता है कि घर के एक कोने में पड़े-पड़े बरसों गुजार सकती है लेकिन उसको सामाजिक जीवन में हम शामिल नहीं करना चाहते हैं। यह मानसिक हिंसा है, यह सामाजिक हिंसा है, यह एक ऐसी हिंसा है जिसका हमें सामना करना पड़ेगा और यदि हम सामना नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। मुझे खुशी है इस बात की कि हम इस विषय पर आज विचार कर रहे हैं। हमारे पास अपने-अपने अनुभव हो सकते हैं, अपने-अपने पड़ोसियों के अनुभव हो सकते हैं लेकिन मूलतः जिस देश को बनाकर हम आगे ले जाना चाहते हैं, मैं सरला जी को बधाई देना चाहता हूँ, इन्होंने लिखा है इसमें - न्याय सम्मत समाज के विकास हेतु, यदि हमारे शरीर का एक अंग किसी भी तरह से लड़खड़ा कर कमजोर हो जाता है तो विकास नहीं हो सकता है और यह एक कारण है। यह नारी मुक्ति या नारी स्वातंत्र्य का प्रश्न नहीं है, यह नारी के खिलाफ एक सुनियोजित, सुविचारित, सुचिंतित और जिसे हम कहते हैं सुव्यवस्थित हिंसा जो इस देश में चल रही है, उससे लड़ने का एक उपक्रम है और इस उपक्रम को मैं पराक्रम मानता हूँ। यदि हम इस कानून को पास कर सके और ज्यादा सख्ती के साथ पास कर सके, ज्यादा सख्त कानून बना सके तो सारे संसार में हम एक मैसेज देंगे। दुनिया में क्या हो रहा है, इस बात की बहस में मैं पड़ना नहीं चाहता और न पड़ना चाहिए। हमें यह देखना है कि हमारे अपने घर में क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? मैं कोई पुराण या धर्मशास्त्रों के उदाहरण नहीं देना चाहता। यदि देना शुरू कर दूंगा तो मेरा विश्वास है कि सवेरा यहीं पर हो जाएगा। लेकिन ऐसी-ऐसी घटनाएं हमारे सामने घटी हैं, बेकसूर जिनका कोई कसूर नहीं, लेकिन वह त्यक्ता है, परित्यक्ता है, वह त्याग दी गई है, छोड़ दी गई है, निकाल दी गई है और वह इस घर में, इस समाज में रहने के लायक नहीं है, वह अभिशप्त है, एक तरह से ऐसा जीवन जी रही हैं। इन सारी बातों पर हमें सदन में गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। जो इसमें प्रावधान दिए हैं, उनसे मैं कई जगह शतप्रतिशत सहमत

नहीं हू, लेकिन फिर भी इतना कह सकता हूँ कि इनको और ज्यादा सख्त बनाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि जो हमारे सदन की या संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सामने सरकार द्वारा निरूपित जो विधेयक है, उसका प्रारूप क्या है, मुझे जानकारी नहीं है। किन्तु उसमें कुछ सख्त नहीं है तो प्रावधान में से लेकर उसको और सख्त बनाइएगा। सख्त बनाकर, इस सदन के सामने रखकर, स्वीकृति लीजिएगा। स्वीकृति लेकर, हम यह कोशिश करें कि यह कलंक हमारे यहां से मिट जाए। आप चलकर देखिए कि महिलाएं कहां कम हैं, महिलाएं कहीं कम नहीं हैं। हम देहात के लोग हैं, देहात में अगर साईकिल पर बैठकर कोई महिला निकलती थी तो लोग कहते थे कि यह बदजात हो गई, इसका चरित्र गिर गया है। यह साईकिल पर बैठकर निकल रही है। लेकिन आज वही लड़कियां हमारे यहां पैट और जीन्स पहनकर, मोटर चला रही हैं, कारें चला रही हैं, ट्रैक्टर चला रही हैं, खेती-बाड़ी में बराबर का साथ दे रही हैं। हमें पता है पहले उनको हल में जोता जाता था। वह महिला है इसलिए उसको बैल की जगह जोतकर, खेती में काम लिया जाता था। हमने अपनी आंखों से ये सब दृश्य देखे हुए हैं। ये हिंसा के अद्भुत दृश्य हैं। यदि हम कवियों को और कविताओं को कोट करना शुरू कर दें तो महोदय, कौनसा ऐसा कवि है जिसने नहीं लिखा हो, लेकिन उनकी सुनी कहां गई, मानी कहां गई? यदि हम सुनना और मानना बंद कर देंगे तो हम गूंगे और बहरे सदनों में शामिल हो जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि सरला जी को इस बेहतर विधेयक के लिए बधाई देनी चाहिए। यदि इस विधेयक को वापस लेने का परम्परागत आग्रह नहीं होता है तो हम अग्रिम बधाई देना चाहते हैं। यदि आपका परम्परागत आग्रह होगा, सुमित्रा जी, माननीय मंत्री जी, तो फिर हम आपको कैसे बधाई देंगे?... (व्यवधान)... हमें परम्पराओं को तोड़ना पड़ेगा। यदि आप सात फेरों में विश्वास करती हैं तो मैं नहीं जानता कि आपके यहां पर क्या विश्वास है, लेकिन मेरे यहां विश्वास है। सात फेरे होते हैं। छः फेरे तक लड़की पीछे रहती है और सातवें फेरे में पंडित लड़की को आगे कर देता है। कहता है कि "तू पीछे रह, यह आगे चलेगी, मेरे घर का निर्माण यह करेगी।" वहां तो हम उसको आगे कर देते हैं लेकिन ज्यों ही हमारे घर में आती है, हम उसका रक्तपात करना शुरू कर देते हैं। हम उसका शोषण करना शुरू कर देते हैं, यह तो नहीं चलेगा और न हमको यह चलने देना चाहिए। हमको इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और इस सद्प्रयत्न के लिए महोदय मुझे खुशी होगी आपके उपसभापतित्व में यह विधेयक किसी न किसी सकारात्मक पगडंडी की तरफ चल पड़े और किसी न किसी अच्छे राजमार्ग से जुड़ सके। सरला जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय आपका अभिनन्दन करता हूँ और माननीय मंत्री महोदय आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अभी भी समय है, यहां से बाहर जाइए और पास के बूथ से टेलीफोन करके अपने मंत्री जी से पूछ लीजिए कि यह सदन इसे स्वीकार करना चाहता है और इसको स्वीकार कराइए। बहुत-बहुत धन्यवाद और सरला जी आपको मेरी तरफ से बधाई।

**श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तरांचल):** उपसभाध्यक्ष जी, सरला जी ने विषय भी बहुत अच्छा उठाया है और भाव भी बड़े अच्छे हैं। लेकिन इसमें कुछ संशय है, इन्होंने जो विधेयक पेश किया है उसका नाम रखा है घरेलू हिंसा निवारण (विधेयक), 2001, घरेलू हिंसा की बढ़ती हुई समस्या के निवारण और विशेषकर ऐसी हिंसा के पीड़ितों को संरक्षण आदेश देने के लिए न्यायालयों को शक्ति प्रदान करने तथा तत्संबंधी और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक। इसमें स्त्री भी शामिल है, पुरुष भी शामिल है, इसमें बच्चा भी शामिल है, बच्ची भी शामिल है। लेकिन आपने सारा भाषण महिलाओं पर केन्द्रित रखा। यह विरोधाभास था। इसके आगे...(व्यवधान)...

मैं आपके विधेयक से पढ़ रहा हूँ, आप सुन लीजिए। दूसरा, आपने अपने विधेयक की धारा-2, जिसमें आपने परिभाषा दी है।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY) in the Chair]

भाग "च" में है, "घरेलू हिंसा से कोई कृत्य, लोप या आचरण जो इस प्रकृति का है कि उससे घरेलू नातेदारी में व्यथित व्यक्ति या किसी बालक-बालिका को चोट पहुंचती है या क्षति पहुंचती है, आपने स्वयं कहा है कि इसमें बालक भी शामिल है, बालिका भी शामिल है, पति भी शामिल है और पत्नी भी शामिल है। आगे फिर आपने इसकी उपधारा (3) में कहा है कि "बालक-बालिका के यौन शोषण" में या यौन प्रकृति का कोई कार्य वगैरह। मेरा यह मानना है कि यह एकतरफा नहीं है। महिलाओं पर भी अत्याचार होते हैं और पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। पुरुष बलात्कार करके महिला की हत्या करते हैं। लेकिन आजकल यह भी पढ़ने को मिल रहा है कि स्त्रियां प्रेमियों से मिलकर पतियों की हत्या करवा रही हैं। ऐसा भी पढ़ने को मिलता है। लिहाजा जहां तक घरेलू हिंसा की बात है हमें इसी पर केंद्रित रहना चाहिए। आपने दुनिया का तमाम साहित्य और इतिहास पढ़ डाला। आप जबानी बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन आपने पढ़कर उसके भाव और प्रभाव को कम कर दिया है। जो व्यावहारिक पहलू है उस पर तो आप गई ही नहीं हैं। हिंसा के मायने क्या हैं? पहली बात तो यह है कि हिंसा को परिभाषित करना चाहिए। मन, वचन, कर्म से किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाना हिंसा कहलाता है। मन, वचन और कर्म। इसकी व्याख्या सबसे पहले जीवित इतिहास में हुई। इतिहास तो बहुत पुराना है लेकिन जब तक का अवेलेबल है उस जीवित इतिहास में गौतम बुद्ध ने इसकी परिभाषा दी थी। उन्होंने पहली शिक्षा दी थी: "पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदमसमादियामी" मैं हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। वे भिक्षु और भिक्षुणी से प्रतिज्ञा लेते थे कि मैं हिंसा नहीं करूंगा। Professor Sahib, you understand well. मैं, वचन, कर्म से किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। यह जीवित इतिहास है। यह गौतम बुद्ध ने कहा है। हिंसा की परिभाषा और इसके लिए कोई प्रतिज्ञा। जब शादी व्यवहार होता है, पंडित जी जब व्याह पढ़ते हैं, मुझे मालूम नहीं लेकिन वे श्लोक तो बहुत पढ़ते हैं, वे लड़का, लड़की से क्या कहलवाते हैं, दूल्हा-दुल्हन से क्या कहलवाते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। यहां पांच-पांच प्रतिज्ञाएं गौतम बुद्ध ने दिलवाई थीं। लड़के को और लड़की को कि शादी होने के बाद तेरा क्या कर्तव्य होगा। मैं उन्हें यहां कहना नहीं चाहता, मुझे जुबानी याद है। दूल्हा (लड़का) और दुल्हन (लड़की) से भी पांच प्रतिज्ञाएं लेते थे। अब तो पंडित जी कहते हैं, अड़म-गड़म स्वाहा, लाओ सोने का टका, अड़म-गड़म स्वाहा, लाओ सोने का टका। कोई क्या प्रतिज्ञा दिलवाता है, कोई क्या कहलवाता है, हमें समझ नहीं आता और न ही हमें कुछ मालूम है। अब कोई प्रतिज्ञा नहीं दिलाता। अब कोई कर्तव्यों की प्रतिज्ञा नहीं दिलवाता कि स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी का एक-दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य होगा। सरला जी, मैं व्यावहारिक व्यक्ति हूँ। मैं पढ़ाई-लिखाई की बात ज्यादा नहीं करता इसलिए दो-तीन बातें ही कहना चाहूंगा। हमारे यहां घरेलू हिंसा को रोकने का एक सामाजिक नियम था। वह था आश्रम पद्धति। वह आज समाप्त हो गई है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, बाणप्रस्थ और संन्यास। सब अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। आज वह आश्रम पद्धति पूरी तरह से समाप्त है। आज हर आदमी कमाने में लगा है। लड़का पढ़ने भी जाता है और सवेरे अखबार भी बेचता है। लड़का-लड़की पढ़ने जाते हैं पर सवेरे दुकान पर भी बैठते हैं। आदमी बूढ़ा हो गया है लेकिन वह भी दुकान पर बैठता है। हर आदमी पैसा बनाने में लगा हुआ है। हम अपनी

आश्रम पद्धति को भूल गए हैं। इसके बाद एक पद्धति है संयुक्त परिवार की। एक घर होता था, एक-दो कमरे या कोठे होते थे। एक दरवाजा, एक रसोई होती थी। एक कमरे में सारे आदमी सोते थे। इससे एकता का भाव, प्यार का भाव रहता था। एक किचन में सब खाना खाते थे। अब चार कमरों का मकान है, चार किचन हैं, सब अलग-अलग हैं। सब अलग-अलग खाते हैं। अलगाव आ गया है। अब परिवार में एकता का भाव है ही नहीं। अब बात तो व्यावहारिक है। क्षमा करेंगे। व्यावहारिक पहलु को भूल रहे हैं। हम गांव के रहने वाले आदमी हैं। जाड़े के दिनों में शाम को मुहल्ले में एक अलाव लगता था, लकड़ी, खोई जलाते थे। सारे मुहल्ले के लोग वहां आकर बैठते थे और एक साथ हुक्का पीते थे। सारी बातें करते थे। अब घर में बेटा 6 बहुरे हैं तो 6 के छोड़ें अलाव शाम को 7 बजे से कमरों के अंदर लग जाते हैं। आज कोई एकता का भाव नहीं है। तो इससे अलगाव का भाव पैदा होता है। एक जगह खाना नहीं बन रहा है। खाना सब अलग खाते हैं।

यह हिंसा की भावना कैसे पैदा हो रही है, मैं इस पर आपको ले जाना चाहता हूं। फिर तामसी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। पहले सदा भोजन करते थे। घूँघट भरकर औरते रहती थीं, यहां तक लम्बी कमीजें पहनती थीं, ग्रीचे तक, यहां, बीस बीस गज का लहंगा पहनती थीं ... (व्यवधान)... माफ करें, आपको जरा कड़वी बात लगती है। यह जो अंगों का प्रदर्शन है, शरीर को न ढक्कन, यह भी बहुत हो रहा है। पहले हमारे समाज की कुछ मान्यताएं थीं और वे मान्यताएं तामसिक प्रवृत्तियां रोकती थीं। मांस नहीं खाते थे, मदिरा नहीं पीते थे। भला हो, यहां पर अखबार में पढ़ा - सही है या गलत कि एक मिनिस्टर की मिनिस्ट्री इसी बात पर छिन गयी कि वे गुटका बंद करना चाहते थे लेकिन हाई कोर्ट ने गुटका और पान मसाला बंद कर दिया। जो काम नेता नहीं करना चाहते वह काम कोर्ट करता है। नेताओं की इच्छा शक्ति क्या है? तो ये तामसी प्रवृत्तियां, बीड़ी, सिगरेट, पान तम्बाकू, चरस, भांग, गांजा, सुल्फा, अफीम, शराब पीना बढ़े हैं। पनवारी की दुकान पर तम्बाकू के हार के हार, माला की मालाएं लटकी हुई हैं और यहां पर आकर, पिच्य, पिच्य, करके गंदगी करते हैं। हर आदमी यह कर रहा है। ये तामसी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं।

पहले ज्यादा से ज्यादा क्या होता था कि शाम को तमाशा या नाटक होते थे। सब एक साथ, बेटा, पति, पत्नी देखते थे। कोई तामसी प्रवृत्ति नहीं थी। अब सिनेमा और टीवी पर शराब की बोतलें दिखाई जाती हैं। कोई टीवी का सीरियल, सिनेमा ऐसा नहीं है जिसमें डकैती, मारधाड़, बलात्कार न दिखाया जाता हो। क्या शिक्षा दे रहे हैं? पहले डकैती डालो, फिर डकैत का सुधार करेंगे। कितनी बेवकूफी की सोच है यानी पहले डकैती डालना सिखाओ और फिर सुधार करो। पहले शराब पिलाना सिखाओ और फिर सुधार करो, पहले बलात्कार कराना सिखाओ... (व्यवधान)... पहले ये कोई चीजें नहीं थीं। आज ये सारी चीजें घर में आ गयी हैं। इसलिए आज तामसी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं।

पोषाक पहनने में तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। अब इसके अलावा शादियां देखिए। एक बार हम अपने पिताजी के साथ एक लड़की के लिए लड़का देखने गए। एक आदमी घास खोद रहा था, उससे पूछा कि भइया, फलों आदमी के पास कितनी जमीन है, कितने भाई हैं, कैसा चाल चलन है। बोला ऐसे हैं। उनसे पूछा तुम्हारा ननसाल किस गांव में है, तुम्हारा ददसाल किस गांव में है, तुम्हारी लड़की कहां ब्याही है। इससे उसके कुटुम्ब और रिश्तेदारों के आचरण का पता लगता था कि कैसा आचरण है। अब तो जाकर - "जाके गलुआ चीकने...वाके मलुआ

यार । अब तो सीधा पद देखते हैं या गोरा चेहरा देखते हैं, न परिवार देखते हैं न पृष्ठभूमि देखते हैं और शादियां कर देते हैं। क्या पृष्ठभूमि निकलती है यह बाद में पता चलता है, जैसे यहां बहुत से पार्लियामेंट के अंदर आ जाते हैं। क्या पृष्ठभूमि है? भला हो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का। ये राजनीतिक दल तो विरोध कर रहे हैं। जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं। लेकिन सत्यता है कि अच्छे लोग, भले लोग, ईमानदार, शरीफ लोग, चरित्रवान लोग, संघर्ष करने वाले लोग, समाज की लड़ाई लड़ने वाले लोग आज एमएलए, एमपी नहीं बन सकते। आज बेकामी लोग, तमाम पैसे वाले लोग, दुराचारी, अनाचारी, हिंसा, जिनकी पहुंच है, ऐसे ब्रह्म से एंटर हो रहे हैं। सब नहीं।

तो पहले ये शादियां सोच-समझकर की जाती थीं। आज बेकामी शादियां होती हैं। लड़कें-लड़कों का मेल और पारिवारिक मेल नहीं होता।

मान्यवर, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। जहां तक कानून की बात है तो सरला जी हमारे इंडियन पीनल कोड में कानून है और भारतीय दण्ड संहिता में एक धारा 2 है। भला हो अंग्रेजों का, अंग्रेजों ने पहली बार यह कानून बनाया था कि कोई भी अपराध करेगा, एक्ट का ओमिशन, कमीशन, तो इस संहिता के अंतर्गत उसको सजा होगी। अब कोई से मतलब राजा हो, रंक हो, पति हो, पत्नी हो, आदमी हो, औरत हो, वरना उससे पहले सजा मिलती नहीं थी। इसमें इंडियन पीनल कोड में आलरेडी प्रावधान है। कौनसे कानून से आप बंद कर लेंगे? इससे क्या आपने बंद कर लिया? दूसरे सीआरपीसी की धारा 125 में यह प्रावधान है कि मां-बाप अपने आप को अगर मेंटेन नहीं कर सकते तो औलाद और, पति-पत्नी व बच्चों को कमाने वाला व्यक्ति, उसके पास साधन है तो वह मेंटीनेंस देगा, खर्चा-खानगी देगा और वे खर्चा-खानगी ले सकते हैं। यह सीआरपीसी में पहले दिया हुआ है, कानून पहले से है, लेकिन इसका क्या अनुपालन हो रहा है? तीसरी चीज़, एक लोक अदालत की प्रक्रिया चली है। लोक अदालत में मामूली मुद्दे, जो ऐसे होते हैं, वे तय किए जाते हैं। मान लीजिए, पति-पत्नी का झगड़ा हो गया, तो भई, एक काम करो, तुम नहीं रखना चाहते तो इस घर का आधा हिस्सा इसे दे दो और आधा हिस्सा इसे दे दो, जिसकी बात आपने कही है कि रहने का हक मिलना चाहिए। लोक अदालतें हैं। लेकिन क्षमा करना सरला जी, कानून से कोई चीज़ हल हो जाएगी, ऐसा हर चीज़ में संभव नहीं है। इच्छा शक्ति, समाज सुधारकों का और समाज का लगाव भी आवश्यक है। अभी विधवाओं के बारे में बात चल रही थी। महर्षि दयानंद ने विधवा विवाह शुरू कराए थे। आपको याद होगा वह पहले व्यक्ति थे, समाज सुधारक थे महर्षि दयानंद, उन्होंने शिक्षा, गऊओं की रक्षा, विधवा विवाह का चलन शुरू कराया। उस समय कबीर पंथी भी यहां पर समाज सुधारक थे, आर्य समाजी भी समाज सुधारक थे, सिखों के ज्ञानी प्रचारक थे, मुस्लिम मुवत्तिलग भी थे, ये सब धर्म, कर्म और इंसानियत का प्रचार करते थे। चन्द्रकला पांडे जी, ये तुम्हारे मतलब की बातें नहीं हैं। तुमने तो इकोनॉमिक्स पढ़ ली है। यह तुम नहीं समझती हो। आज जितने सोशल रिफार्मर हैं, जो साइंटिफिक टर्म है उसके अनुसार वे सब हाईबरनेशन में चले गए। आज क्या कोई समाज सुधारक है? कोई समाज सुधारक नज़र नहीं आता। आप जरा कहकर तो देखो, हरेक को वोट का लालच है और एमएलए, एमपी तो कह ही नहीं सकता। किसी को रोक ही नहीं सकता। चाहे 30 के 13 कर दे, पर नाम दरोगा धर दे, तू चाहे जो कुछ कर, पर वोट मुझे दे दे, चुनाव मुझे जिता दे। You expect something from the public representatives! I don't think so. यह हाव-भाव जो है तमाम समाप्त हो गया। समाज

सुधारक होना ही चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री जी ने संसदीय दल की बैठक में एक बड़ी अच्छी बात कही कि राजनीतिक कार्यकर्ता को तो सामाजिक कार्यकर्ता होना ही चाहिए। मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ और उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे यहां इंदिरा जी ने जब बीस सूत्रीय कार्यक्रम चलाया तो उस समय पॉपुलेशन कंट्रोल में नसबंदी कार्यक्रम भी था। हमारे यहां ए०के० दास डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे। वहां केरल में एक कैप लगाया गया। मैं रिपब्लिकन पार्टी में था और कांग्रेस का विरोधी था। तो उस कैप में भाषण होने के बाद 50 कैप लगाए गए। उस समय हिन्दुस्तान में टीवी नहीं चला था और रेडियो वालों को बुलाया गया था। उस समय मैं विरोधी दल में था और बीच में बैठा था। जब वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने उस कैप का उद्घाटन किया तो मैं वहां खड़ा हो गया और कहा कि मंत्री जी, यह नसबंदी कैप है और यह उद्घाटन अधूरा है। पहले आप अपनी नसबंदी कराओ। मैंने यहां चार ऑफर की हैं। वहां डिस्ट्रिक्ट जज अख्तर हुसैन थे। मैं पेशे से वकील था। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम यह कह रहे हो। मुझ से रेडियो वालों ने पूछा कि तुम क्यों कह रहे हो, तुम तो विरोधी दल के हो। मैंने कहा कि मैं दल का विरोधी जरूर हूँ लेकिन मैं भारतीय हूँ। यह मेरा देश है। यह सामाजिक बात है। इसकी आबादी कम करनी है। कौन करने को तैयार है। यहां तो यह है कि इस पार्टी का कह रहा है इसलिए मैं साथ नहीं दूंगा। सब पार्टी पॉलिटिक्स से नापते हैं। यहां तो, चाहे कितनी ही देश हित की बात हो वह कोई नहीं करेगा।

महोदय, एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। मैं ने 14 अक्टूबर, 1976 को एक सौ शायियां बगैर दहेज के एक साथ फूल-माला के आदान-प्रदान से कराईं जोकि अरेंज्ड मैरेजेंज थीं और 6 दिसंबर, 1982 को 200 करवायीं जिस में ज्ञानी जैल सिंह जी गए थे। आज ये काम कौन कर रहा है? नौन, तेल, लकड़ी के चक्कर में सभी फंसे हैं। सभी पैसा और साधन के चक्कर में लगे हुए हैं। इसलिए सरला जी भाव बहुत अच्छा है, विषय बहुत अच्छा है, घरेलू हिंसा रुकनी चाहिए, लेकिन घरेलू हिंसा को रोकने के लिए ये जो मूल कारण हैं, इन पर ध्यान जाना चाहिए। इन कारणों को दूर करने के लिए अपने आप को इनर्वाल्स करना चाहिए। उपसभाध्यक्ष जी, आखिरी बात कहकर समाप्त करूंगा। रामपुर में ताजियों का जुलूस निकल रहा था। वह पठानों का शहर है। ताजिए के साथ लोग छाती पीट-पीटकर चल रहे थे और हुसैन को किस ने मारा कह रहे थे? बीच में कुछ बगैर पढ़े-लिखे आ गए और कहने लगे कि हम ने मारा। बात कुछ बड़ी नहीं और जुलूस आगे चला गया। उपसभाध्यक्ष महोदय, जिस दिन इस देश के नेता, नौकरशाह, जिम्मेदार नागरिक जिस ने देश के नाम पर फीस लेकर, वजीफा लेकर नौकरी पाई है, कौटा, परमिट, लाइसेंस, दुकान, मकान, फ्लैट, प्लॉट पाए हैं, जो एम०एल०एज०/एम०पीज० बनकर आए हैं, जिन्होंने देश की धरती और देश के लोगों की कमाई से लाभ उठाया है, ये उन की जिम्मेदारी है कि वे इस देश को कुछ दें और देश के समाज को कुछ दें। पहले अपने आचरण को सही करें और एक बार यह काम कर के तो देखो फिर चाहे वोट मिले या न मिले। बड़े-बड़े लोग चले गए जिन के महलों में हजारों रंगों के फानूस थे, झाड़ उन की कन्न पर हैं और निशां बाकी नहीं।

सरला जी, मैं आप की भावना की कद्र करते हुए आप के विधेयक का समर्थन करता हूँ। क्षमा कीजिए, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ क्योंकि एक सामाजिक प्राणी रहा हूँ और जमीन का आदमी हूँ। मैं झोंपड़ी से निकलकर आया हूँ, इसलिए लिखाई-पढ़ाई की बात कम करता हूँ

और व्यवहार में जो मैं ने देखा है इसलिए मुझे कुछ वहाँ का ज्ञान भी है। मैं आप के इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

**डा० रमेश कुमार यादव रवि (बिहार) :** माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सरला जी द्वारा घरेलू हिंसा निवारण विधेयक, 2001 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरी मौलिक धारणाएँ हैं, मगर जो व्यक्तिगत धारणाएँ हैं, वे भी मैं सदन के सामने रखना चाहूँगा। एक दार्शनिक की लिखी कुछ पंक्तियाँ मैं पहले आप के सामने रखूँगा। उन्होंने लिखा था कि, God can not be always everywhere. So He created mother. हमें इसे भी दृष्टिपथ में रखना चाहिए। इस के साथ ही मैं अपनी एक कविता आप के सामने प्रस्तुत करूँगा जोकि लगभग 30-40 साल पहले छपी थी। इस कविता का शीर्षक है "वैशाली की दत्तक पुत्री।"

"वैशाली की दत्तक पुत्री, रात के सन्नाटे में, अब भी सिसकती है,  
अस्मत् का सौदा समष्टि के निमित्त,  
तब एक पुण्य पर्व था, अब भी पुण्य पर्व है।  
अवैध संतान की चीख, राज दरबार के गुम्बजों तक अगर पहुँची भी,  
वह अनसुनी कर दी जाती थी, अब भी कर दी जाती है।

किराए की कोठरी में जहाँ मैं रहता हूँ।

हर रात वहाँ कोई न कोई

वैशाली की कुमारी आती है।

उसकी चीखें सुनता हूँ।

उसके साथ का व्यक्ति

दस-बीस देता है, खाना खिलाता है।

चिकनी चुपड़ी सुनाता है।

और सबेरा जब झाँकना चाहता है

उसके पहले ही वह घर पहुँचा दी जाती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इन दोनों कथनों, दोनों अभिव्यक्तियों में विरोधाभास है। जिस विषय के संदर्भ में यह विधेयक लाया गया है, मैंने पहले ही कहा, मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि अभी अभी सरला जी इस विषय पर बहुत अधिक कह गईं। आप बहुत बेहतर बोलती हैं, भाषा पर अख्तियार भी रखती हैं। सम्मानीय वैरागी जी और मित्र संघ प्रिय गीतम जी ने भी इस पर अपने विचार रखे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे इस मुल्क में मातृ सत्ता, पितृ सत्ता के साथ गुरु सत्ता का भी चलन रहा है। भारतवर्ष में मातृ प्रधान युग रहा, अब पितृ प्रधान युग है और यह मुल्क गुरु प्रधान भी रहा है। यह इतना व्यापक संदर्भ है, जिस पर मैं इतने कम मिनटों में ठीक से नहीं कह सकता। इसके विस्तार में, गहराई में गए बिना मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिन कारणों का उल्लेख संघ प्रिय गीतम जी ने और वैरागी जी ने किया, उसमें पति, पत्नी, परिवार, बच्चे, माता-पिता सभी आ जाते हैं। इसमें सिर्फ पुरुष जाति या पति की कूरता की बात नहीं बल्कि समाज में प्रचलित असमानता, जिसे हम विषमता मानते हैं, वह भी आती है। इस मुल्क में समाजिक विषमताएँ भी हैं, धार्मिक विषमताएँ भी हैं, पारिवारिक विसंगतियाँ या विषमताएँ भी हैं और पुरुष-नारी में दृष्टिभेद भी है।



महोदय, यहां विधवा विवाह पर चर्चा हुई, मैं राममोहन राय जी या दयानंद सरस्वती जी की चर्चा नहीं करना चाहूंगा कि उन्होंने विधवा विवाह की बात क्यों की और सती प्रथा का विरोध क्यों किया ? उसके पीछे भावुक संदर्भ सिर्फ यह नहीं कि बलात् नारियों को जला देना या पति की धिता पर जल जाने के लिए उनको मजबूर किया जाना। चर्चा के दौरान उदाहरण दिया गया कि हाथ में लोहे की छड़ होती थी। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता।

महोदय, यूनिसेफ की बात कही गई, यूएनओ की बात कही गई कि वह नारी अधिकार और नारी समाज की समानता की बात करते हैं, लेकिन जिस संवेदना के साथ, जिस धार्मिक आस्था के साथ हम इस मुल्क में नारी को सम्मान देते हैं, उतना शायद ही कोई देता हो। हम किसी न किसी मां की कोख से आए हैं, हमारी भी बहनें हैं, हमारी भी बेटियां हैं। हमारे समाज में नारी की एक अवधारणा है। मैं कोई विज्ञान का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन कहीं तो बायोलॉजिकल कंस्ट्रिक्शन है। नारी को कभी लोगों ने कहा कि असूर्यपश्या है, तो कभी उसके लिए किसी देश से दुर्घट पदार्थ आया। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता कि ऐसा क्यों होता है। एक वक्त ऐसा भी आता है कि नारी घर में ही रहना पसंद करती है। हम जैसे, आप जैसे इस सदन में बैठे लोग जानते हैं कि जब मां-बहनें बच्चे को कोख में धारण करती हैं तो वह काम पर नहीं जातीं, घर में रहती हैं। परमात्मा ने यह सब किया है, प्रकृति ने किया। दर्शन शास्त्र के अनुसार प्रकृति और पुरुष का संबंध है। अभी इस विषय पर विवेचना करना संभव नहीं है क्योंकि हमारी पार्टी से एक और माननीय सदस्या भी अभी बोलेंगी।

महोदय, आज महिलाएं काफी आगे बढ़ी हैं। पुरुष जो काम करते हैं, वह महिलाएं भी करती हैं। आज हमारी बहनें हवाई जहाज उड़ाती हैं, सेना में भी हैं, डाक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। मैं यह मानता हूँ कि हम लोग अमरीका से, इंग्लैंड से अधिक विकसित हैं, संस्कारों से अधिक विकसित हैं। हमारे यहां लोग सीता राम कहते हैं। एक श्लोक के अनुसार जहां नारी की पूजा होती है वहां भगवान निवास करते हैं। आधे भाग की भी यहां कटु आलोचना की गई, जिसको नहीं पढ़ा जाता। हमारा देश राधा कृष्ण का देश है, सीता राम का देश है, लैला मजनू का देश है, शीरी फरिहाद का देश है, आदम हीवा का देश है, मनु श्रद्धा का देश है। इस मुल्क में हम नारी को अच्छा सम्मान देते हैं। आज उसकी सहभागिता बढ़ रही है। वह वर्किंग लेडी हो रही हैं, उनमें आत्म-निर्मरता बढ़ी है।

आप देखेंगे कि आदिवासी समाज में ये विसंगतियां कम हैं, गरीब समाज में ये विसंगतियां कम हैं, जहां की बेटियां-बहुएं भी काम करती हैं, प्रसव के दो दिन पहले भी वह धान का बोझा ढोती हैं, वहां ये विसंगतियां नहीं हैं और जो समाज सिर्फ पति पर निर्भर हैं, वहां ये विसंगतियां ज्यादा हैं। हम लोगों की मां कोई नौकरी नहीं करती थी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे पिता जी को मेरे 52 वर्ष हो गए, सब कुछ मां ने ही किया है, यह उस मां का ऐहसान है। कल अपने भाषण में श्रीमती माया सिंह ने कहा था कि पुरुष प्रधानता की जो मानसिकता है, इस मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है। मैं भी माननीया मंत्री महोदया से यह आग्रह करना चाहूंगा कि इस मानसिकता के बदलाव लाने के लिए सरकार कोई ऐसी योजना, ऐसी कार्य-योजना बनाए कि हमारे संस्कारों में पुरुष समाज, जो इस व्यवस्था पर आधिपत्य किए हुए है, पुरुष समाज का जो अग्र है, पुरुष समाज का जो ईगो है, वह ईगो बदले और उसे बदलने की जरूरत भी है। ऐसी बात नहीं है कि हर बात में पुरुष ही दोषी होता है, स्त्रियां भी दोषी

होती हैं। मैंने अपनी कविता का पाठ करते हुए कहा था कि यह जो संबंध है यह प्राकृतिक है, अनिवार्य है और जैसा बेरागी जी ने कहा कि माता सत्य है, पिता विश्वास है और जहां उस विश्वास में खटास आती है या कोई कमी आती है तो पुरुष समाज का अहम सामने आता है, इसलिए कि वह फिजिकली कुछ बलवान होता है। माफ कीजिएगा, हालांकि मालेश्वरी भी हैं जो पुरुष समाज के लिए एक चुनौती हैं कि वह इतना बेट उठा लेती हैं, ऐसी भी औरते हैं, लेकिन कम हैं। पुरुष समाज शरीर से बलवान होता है, नारी शरीर से बलवान भले ही न हो लेकिन मन और संस्कार से वह बहुत बलवान होती है। मैं समझता हूँ कि माता का जितना बड़ा कंट्रिब्यूशन सृष्टि में, समाज में, व्यवस्था में है, पुरुष उससे बहुत पीछे है और नारी तप, त्याग और बलिदान का बोझ जो ढोती है, पुरुष इस मामले में उससे बहुत पीछे है। तो नारी को सिर्फ सम्मान या समान अधिकार ही नहीं मिलना चाहिए बल्कि विशेष अधिकार और विशेष सम्मान मिलना चाहिए और पुरुष समाज की जो अहमन्यता है, ईगो है, अपने को प्रधान मानने का जो पुरुष में ईगो है, उस ईगो को समाप्त करने के लिए एक माहौल, एक वातावरण तैयार किया जाए ताकि पुरुष समाज नारी की महत्ता को, नारी के त्याग को, नारी के बलिदान को समझे।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ क्योंकि हमारी पार्टी की एक माननीय सदस्या को भी बोलना है। धन्यवाद।

SHRIMATI SHABANA AZMI (Nominated): Sir, I rise to support, in toto, the Bill of Smt. Sarla Maheshwari, because, I believe, it has all the necessary provisions for any legislation on domestic violence. In fact, I propose that the Government of India withdraw its official Bill, introduced in the Lok Sabha, in March, 2002, which has now been referred to the Standing Parliamentary Committee on Human Resource Development. I propose that the official Bill be withdrawn and this Bill, which has the support of the women's organisations across the country be made the Government's Bill. In case this is too revolutionary a step and this can't be done, then I propose that this Bill of Smt. Sarla Maheshwari should also be sent to the Standing Committee on Human Resource Development to bear scrutiny so that they understand the significance of the provisions that Sarla Maheshwariji has spoken about, which must definitely be included in that Bill. If its purpose is not just to make a token measure towards women, but actually to redress the sufferings of victims of domestic violence.

Smt. Rita Verma is also here and I would like to remind her that the hon. Minister, Shri Murlu Manohar Joshi, on 8<sup>th</sup> March, 2002, when Smt. Najma Heptulla had spoken about the fact that several women's groups were against this Bill--and I had spoken about it--in fact, assured us, "if there were certain misgivings that the women's groups have, we would be only too happy to address them and include them, because our purpose is to provide redress." I have with me a representation here, made by

Ahmedabad Women's Action Group to the then Law Minister, Shri Arun Jaitley, when they had gone to protest against the Government's official Bill.

There were certain points that had been discussed over there. Amongst them are certain non-negotiable points as compared with the Government's Bill which I find very necessary to specify here. Firstly, in the very definition of domestic violence, the comments that we made are that it should be defined to mean any act, omission or conduct which is of such a nature as to harm or injure or has the potential of harming or injuring, the health, safety of the person which includes physical abuse, sexual abuse, verbal and mental abuse and economic abuse. The definition further defines the various forms of domestic violence. This definition is based on the UN Model Code on Domestic Violence and is representative of women's experiences of violence. It is universally accepted definition of domestic violence. This is the first point.

Secondly, in the Government's Bill there is a plea of self-defence. All women groups are demanding the omission of clause 4(2) from the Government of India's Bill. It is absolutely non-negotiable and cannot be accepted.

Then comes the right to reside in the shared household. What we are insisting on is that law must include the right to reside in the shared household. Women will have a right not to be evicted or excluded from the household except in accordance with the law. If a woman is evicted, then she will have a right to enter the household. She has a right to obtain protection order in the form of residence order. If she is being thrown out of the shared household or is being threatened of the same, then this is of vital importance because we have seen that many women continue to live in homes where they are the victims of domestic violence only because they have no other place to go. The houses of their parents are closed for them. The State does not provide any kind of shelter for them. There is no place to go. They continue to stay in that violent situation. If by law they can be given the right to reside in the same household till such time as law takes its course, it will become clearer and not something which, like Mr. Arun Jaitley argues, is there in the provisions in the judgements of maintenance because you cannot rely on judgements. You have to have a law that protects the right of women to reside within the same household. And we cannot rely on judgements. Mr. Arun Jaitley argues that that right is included under maintenance. What happens is that maintenance when it gets considered, it gets translated into cash. For example, if the

maintenance is Rs.2000 per month that includes the fact that the woman has some place to stay. So, it gets translated into cash. But what we are saying is that women must have a right to remain in the same household. Then the law must provide, in addition to the existing proposal, for protection order prohibiting a respondent from aiding and abetting in the commission of such acts, entering the place of employment or any other place frequented by the person aggrieved, attempting to communicate with the aggrieved person, alienating any assets, held or enjoyed by both the parties, either jointly or singly, causing violence to dependents or other relatives and persons. In the case of violation, the court may direct the respondent to pay monetary reliefs to meet the expenses incurred and losses suffered. The court may also pass a residence order. The court may give a temporary order of custody of any child. The court may pass an order directing the respondent to pay compensation and damages for injury caused. Clause 11 must be amended to provide mandatory counselling only for the abuser and not for the victim. It is on this account that this Bill of Shrimati Sarla Maheshwari must be supported.

Globally, violence within the home is universal cutting across culture, religion, class, and ethnicity. Despite this widespread prevalence, however, such violence is customarily acknowledged and has remained invisible - a problem thought unworthy of legal or political attention. According to the available statistics from around the globe, one out of every three women has experienced violence in an intimate relationship at some point in her life. The National Crimes Record Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India reveals a shocking 71.5 per cent increase in cases of torture during the period from 1991 to 1995. In 1995, torture on women constituted 29.2 per cent of the reported crimes against women. And this is just a figure of reported crimes. We know very well that a large number of these incidents never get reported because of lack of information on her rights and because she is surrounded by a society that tells her that it is the woman's lot to suffer. In fact, all the examples in our mythology are pertaining to women, who quietly acquiesced and put up no resistance whatsoever.

In fact, one knows of many instances where even parents, after their daughter tells them that her husband has been beating her, instead of taking the daughter away from that home of violence say, 'He is your husband. He must have been in a bad mood. You must have done something wrong. You cannot break up this marriage.' So, this constant

4.00 P.M.

pressure to keep the marriage alive under all circumstance acts as the reason why parents -- as Sarlaji has said, एक लड़की की डोली जाती है तो सिर्फ उसकी अर्थी वापस आनी चाहिए! -- give up their right to provide protection to their daughters. In fact, their doors should remain wide open for their daughters just as they do for their sons because, then, the woman has a place to go when she is abused. This does not happen. There are lots of problems in this. All right, many women cells are created. There are 'all women' police stations that are supposed to take notice of the domestic violence. But, no personnel training is given to women officers. So, they imbibe all the prejudices that a patriarchal male order has given to the society. In fact, there is a very famous instance. *Manishi* -- a women's magazine -- talks about one woman, who was staying in a slum, was badly beaten by her husband. She was so badly beaten that her eye had become black, her arm had been broken and the women organisations, finally, forced her to go and lodge an FIR in the police station. She was a woman from a slum area. She was very terrified. She knew that just lodging an FIR would mean she would be severing her relationship with her husband and his family for ever and she had nowhere to go. So, she was really frightened. Now, the police officer, instead of being sensitive to how frightened this woman was and giving a proper counselling, said, "So, what was your mistake? Why did your husband beat you up so badly? And the woman said, "There is no reason." The officer said, "What do you mean by 'there is no reason?' Is your husband mad? Of course, you must have done something wrong." This woman finally said, 'I forgot to pick the cloths off the cloth's line. It rained and all the clothes got wet again.' And the police officer said, "See; I told you it was your fault." I do not know whether to laugh or cry as I give this example. If we have police officers, who are there for that purpose, and yet they have internalised all the prejudices of a patriarchal society then life, as has been said by Shri Gautamji, it is not just a question of legislation but it is also a question of mind-set. This is not 'either---or'! It means, we need legislation and we need societal pressures to change that mind-set. Legislation becomes one of the most important ways to recognise that. It is not enough to say that we worship women in our society as *devis*. We do not want to be treated as *devis* at all. We want to be treated as equal citizens. आप हमारी वरशिप मत करो, आप हमारे सामने प्रणाम मत करो, लेकिन आप हमें बराबरी का हक दो, हमारे लिए इतना ही काफी है। Give us equal rights, equal opportunities, protect us from violence give us a place to go so that we can find redressal. That is what women in our society are

asking for. It is imperative that the State recognises the criminal nature of domestic violence and takes adequate measures to criminalise offences. State reluctance to dwell into what it seems to be a private sphere is placing increasing number of women at risk. The State should utilise its legal mandate to take strong punitive action against wife batterers. The present mandate in India is effectively limited to dowry-related violence and we have to understand that when we talk about violence, most of the time, we think that it is about dowry deaths. But, in reality, it is not. We have to go deeper into it and we have to understand that it is the constant pressure to keep the marriage alive under all circumstances that is responsible even for parents to turn their backs on their daughter. Another problem that parents face is this. If they allow their daughter to return from her husband's home, it seriously jeopardises the chances of the younger sister of the family getting married because we have very skewed priorities in our society where the woman gets penalised. So, she gets doubly victimised, but the man, who is the perpetrator, gets away scot-free and, in fact, is, probably, going to get married a second time. So, the society should also understand its responsibility and change its mindset and say, "Stop it. It cannot be and must not be tolerated". Today, violence against women continues in the society because it has the tacit approval of all of society, and this must be changed. Thank you very much.

DR. M.N. DAS (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I wish to speak a few words on the request of my *bahen*, Sarla Maheshwariji. I look at the Bill in a wider perspective -- social perspective, economic perspective, cultural perspective, religious perspective. When we think of how Indian society has treated the Indian womanhood over the ages -- it is not the question of today -- we come to the conclusion that one of the worst features of Indian social culture has been oppression of women. On the one hand, we describe women as *devis*. 'Devī' means Goddess. All my sisters sitting here are like Goddesses. But, in practice, we use them as domestic slaves. That is the peculiarity of our culture. Culture is the mosaic of bright glittering stones and also very dark stones. Now, I open my mind before you, Sarla Maheshwariji. I have a serious thinking on committing a domestic crime in my own house by administering potassium cyanide to two of my little granddaughters. Because it would be better to let them die in peace, in my own home, before my eyes, rather than in the house of their in-laws. They would be tortured for dowry for years and, finally, burnt alive. What a painful death would it be!

Sangh Priya Gautamji described himself as a social animal. Yes, no family is separate from society. We are thinking about domestic violence, but we have to think of social violence too. Kindly permit me, Sir, to refer to one point. My memory takes me back to 1955, when I had an occasion or a privilege to go through the original records of British District Collectors, who had felt surprised to see how barbarous Indian mankind could be towards women. I produce one instance. An eight-year old girl had become widow. Husband's age was more than 70, who belonged to a *kuleen* family of Bengal. The dialogue between the father and the eight-year old daughter, recorded by the Collector who heard everything in detail -- sitting on a horse in darkness -- was like this. Father tells his child, "Look dear. You will go to heaven for eternity." The girl asked, "Father, would you accompany me? Father said, "You will go with your husband." The girl asked, "Who is my husband?" The father said, "The other day you were married." The girl said, "Oh! that toothless old man. No, no. I would not go to heaven. I would stay with you." But the little girl was forcibly taken to pyre. When the pyre was lit, she jumped down, and the father used a bamboo stick to hit her, and again threw her into fire.

And, what about female infanticide, we were discussing yesterday? With the modern system of ultrasound, detection of female child in embryo is possible. Now, the delivery will take place inside the room, outside the same room where *dies* will be treating the pregnant women. When a child is born, the Dhai is told to give an indication. What is that indication? If a boy is born, blow a conch and if a daughter is born, just remain silent. The moment you know that it is a girl child, the needful is done. What is the needful? Just one man will enter and administer opium into the mouth of the girl child or take the child where a big pot, full of milk, is ready for burial. That is how they were treated.

You mentioned about the Right to Property. That was a nice suggestion. But, Sir, in Nehru's first Cabinet, Dr. Baba Saheb Ambedkar, introduced the Hindu Code Bill and the Bill contained a provision that like sons, daughters should also have a right over paternal property. And, do you know what happened? Throughout India, there was a hue and cry that daughters should not get the right to property.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) in the Chair]

A most interesting and humorous incident took place when 3000 sadhus participated in a procession outside Parliament House, shouting 'No Property Right to women, Hinduism is in danger'. One BBC correspondent

asked a leading sadhu, 'Well, Sir, how many daughters have you got?' The Sadhu became angry and said, 'I am Sadhu, and you are asking me, 'How many daughters I have got?' The correspondent then asked, 'How much property you have got? "We sadhus live in Himalayas, how can we have property?" The correspondent then asked, 'When you have neither daughters nor property, then, why do you shout, 'No Right to Property for women?' His reply was, 'Hinduism is in danger.' How Hinduism can be in danger, if daughters are given property, I don't know. Now, all these things are going on.

Sir, the Bill is under consideration, but unless there is a social consensus against the treatment meted out to mothers, grand mothers, wives and even daughters; nothing can be done. Even old men command their wives to do all the works. But, when they are even unable to walk, how can they domestic other work? And, as long as mothers remain strong, they are compelled to cook food. Wives, of course, are tortured everyday in some form or the other. Even small girls are compelled to work as domestic help. How can law prevent this? What India needs today is awareness, education and consciousness. If women get education, they would not tolerate the type of treatment that they are getting now at the domestic level or at the institutional level. But, unless education grows and unless poverty is eradicated, this problem will not get solved. Small girls start working as maids out of poverty. They don't have anything to eat. So, out of necessity, they get employed and they start working as domestic servants. But, it is found that even the house wives torture the little maids. It is worse than the slave system of the ancient times or medieval times. Sarlaji, with due humility, I would say that women are more atrocious towards little girls than men. And this, we observe everyday. Nobody can deny it. So, Sir, what India needs today is not a law. Law cannot change social habits. Law cannot eradicate many vices prevalent in the society. Law cannot effectively work as far as domestic violence is concerned. Law will have to take its own course. How many people can go in for legal shelter? It is very difficult. So, let us be practical. In a poor country like India, it is only social consciousness and education which would be of some help. It requires the active participation of not only MPs or MLAs, but also of educated women. The law alone cannot do this. Unless the educated women come forward, either in the form of NGO or any other organisation, to educate the people that men and women are equal, that we should be more merciful towards daughters or girls than towards sons or boys; unless



some consciousness is created, the law would not come to our rescue. Thank you very much.

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU (Pondicherry): Mr. Vice-Chairman, Sir, there are several laws to prevent crimes against women, laws dealing with rape, kidnapping and abduction, dowry deaths, torture, molestation, sexual harassment, importation of girls, etc. We have also the Sati Prevention Act, the Immoral Suspension of Traffic Act, the Indecent Representation of Women Act, the Dowry Prohibition Act, and so on. Now, my learned friend, Shrimati Saria Maheswari, has brought another piece of legislation, the Domestic Violence (Prevention) Bill. I would like to say that this Bill has been brought with a good intention. The intention is laudable. At the same time, I would like to make some points which are in favour of this Bill, and some other points which are against this Bill. The first point which I would like to stress relates to the treatment meted out to the servant girls by their employers. Their condition is very pathetic. They are sold for a sum of Rs.4,000, Rs.5,000, and sometimes, just for Rs.400. They have to work hard in those houses. This kind of a thing has to be prevented. But this Bill has not incorporated any provision to deal with this problem. I would suggest that this point should be incorporated in this Bill. Another point which I want to make is -- and it is very important -- women are sent to foreign countries to work as domestic servants. There, they are working as maid-servants in several houses. There are several reports which show how they are suffering, and in what miserable conditions they work. This Bill does not deal with this problem also. I would suggest that this point should also be incorporated in the Bill. One another aspect I would like to submit is, because of some domestic problems, sometimes, it becomes very difficult for some girls to live in a joint family. So, they want their husbands to get separated from the joint family. And, to achieve their end, they even instigate their husbands. When they do not succeed in this, they are having the weapon in the form of the Dowry Prohibition Act or section 498 (A) of the IPC. Sometimes, unfortunately, it may lead to action under 304 (B) also. What I want to submit is, the ladies do not want to live in a joint family. If they live in a joint family, their husband's income will be shared by other members also. So, it may be one of the reasons for their asking their husbands to leave the joint family. Another interesting point is, in Tamil Nadu and some other places, the main reason for their separation are the astrologists and samians. It is the samians and astrologists who say that the husband and wife should live separately for a period of one year,

otherwise, there will be some problem in the family. No son will be born. And, if at all a son is born, he will be responsible for the death of his father. So, the samians ask the husband and wife to live separately. Ultimately, what happens is, they live separately, throughout their life. So, lack of education is one of the other factors that causes the difficulty. As far as the Hindu Marriage Act is concerned, it says, 'the cruelty is an offence.' If the cruelty is committed by a husband upon his wife, she can get the divorce. And, if the wife commits a cruelty upon the husband, the husband is entitled for a divorce. Sir, when we talk about cruelty, I would say that mental cruelty is one of the important things that need to be taken into consideration in this regard. Do not think that always only the husbands are committing cruelty upon the wives. There are several instances, several cases, where the wives are committing cruelty upon the husbands, which results in a divorce. There was a case in which the wife said that her husband is a lunatic, his father is a lunatic, his mother is a lunatic, his great-grandfather is also a lunatic; they are all of unsound mind, the whole family is full of persons with unsound mind.' This matter went to the Supreme Court. The petitioner asked whether the husband was entitled for a divorce on the ground of cruelty. The Supreme Court said, "Yes, he is entitled for a divorce." So, the point is, harassment, mental torture, as well as cruelty comes from the women also. As far as adultery is concerned, a divorce can be obtained by both the parties. It can be obtained either by the husband or by the wife. So, as far as these offences are concerned, it can be committed from both the sides. As far as this law is concerned, they have incorporated two aspects.

My another submission with respect to domestic violence is this. I would like to quote clause 5, sub-clause (vii) of the Domestic Violence (Prevention) Bill, 2001. It says, "alienating any assets, operating bank lockers or bank account used or held or enjoyed by both parties, either singly or jointly, including her stridhan." With due respect to Smt. Sarla Maheshwari, I would like to request her to kindly look into this matter. Everybody is having the same difficulty. I am a husband and I am earning money. I am putting it in my lockers or in a joint account. Can the wife say that she has the right to take all the property from my hands? Every husband is having the same problem. If he forgets that he has kept his salary in his shirt pocket, after some time, he finds that the whole money has disappeared. Even for one or two rupees, he has to beg. He begs, "Please give me one or two rupees, I want to go to the cinema." But the

wife replies, "No, no, you can go to the cinema tomorrow. You need not go to the cinema today." So, these kinds of things are also a sort of domestic harassment upon the husbands. But, as far as this law is concerned, it is giving protection to the women alone. As far as the domestic violence is concerned, it cannot be said that it is committed against the wives alone. It can be committed against the husbands also. It is also applicable to them. What I say is, the definition of 'aggrieved person' needs to be defined properly. You have defined here as to who is an aggrieved person. You have defined only the women as an aggrieved person. I request Mrs. Sarla Maheshwari to kindly amend it and include 'male' also in the definition of 'aggrieved person'. It does not happen always, but, sometimes, it happens. Because, once cruelty has been included as a reason for divorce between the husband and wife, the same has to be applied in the case of domestic violence also, along with other reasons.

With great respect, I submit that your aim is good. I appreciate it from all angles. But, my request is, please include male also, wherever it is possible.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu) : Mr. Vice-Chairman, Sir, in Tamil Nadu, thirty per cent of the Government jobs are reserved for women. If the same is implemented throughout the country, it would result in their economic independence. It will be very good for them.

श्री श्यामलाल (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसमाध्यक्ष जी, बहिन श्रीमती सरला माहेश्वरी द्वारा जो घरेलू हिंसा (निवारण) विधेयक, 2001 प्रस्तुत किया गया है, उसके संदर्भ में मुझे अपनी बात कहने और विचार रखने का आपने जो अवसर दिया है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, जहां तक हम जानते हैं, हम जिस सौरमंडल में रहते हैं उसमें धरती है और उस को हम धरती माता कहते हैं। हम जिस भूखंड में रहते हैं उसे भारत माता कहते हैं। विश्व का कोई दूसरा ऐसा देश नहीं है जहां इस धरती को माता के नाम से न पुकारा जाता हो।

हमारे यहां एक पुरानी परिकल्पना है मान्यवर। वह परिकल्पना यह है कि मनु और शतरूपा - स्त्री और पुरुष से तीसरी जो उत्पत्ति हुई उससे यह मानव समाज है। ईसाई धर्म हो अथवा मुस्लिम धर्म हो उनमें आदम और हव्वा की परिकल्पना है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि सारे जीव जन्तु - सबमें स्त्री और पुरुष का जो समूह है उससे तीसरी उत्पत्ति होती है। यह सर्वज्ञ है।

मान्यवर, जहां तक बहिन सरला माहेश्वरी जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है - महिला घरेलू हिंसा निवारण विधेयक - इसका दूसरा तात्पर्य यह हो सकता है कि हम अहिंसा के पक्षधर हों अथवा अहिंसावाद की परिकल्पना करें। अहिंसावाद का दूसरा नाम हम इस देश में गांधीवाद से ले सकते हैं। गांधी जी की एक बात मैं यहां उदाहरण स्वरूप रखना चाहता हूं।

हिंसा जो है वह केवल किसी को मारने से नहीं होती है। किसी की आत्मा को किसी भी रूप में तकलीफ देना - इसको भी हम हिंसा का रूप देते हैं, इसको हिंसा के नाम से पुकारते हैं। इसका दूसरा पहलू, इसके विपरीत जो है, उसको हम अहिंसा के रूप में लेते हैं।

गांधी जी का, पति पत्नी का, एक दूसरे की आत्मा के संबंध का एक उदाहरण हमारे सामने है। मां कस्तूरबा गांधी बीमार थीं। उनको दवा की जरूरत थी। वैद्य महोदय ने कहा कि मां कस्तूरबा को नमक खाने के लिए मना कर दीजिए, बंद करा दीजिए। गांधी जी ने कहा कि ठीक है, मैं कहूंगा लेकिन मुझे एक सप्ताह का समय चाहिए क्योंकि मैं वह प्रक्रिया स्वयं अपने ऊपर लागू करूँ और मेरी आत्मा को जब यह तकलीफ न हो तो मैं अपनी पत्नी को फिर उसको मानने के लिए कहूंगा। गांधी जी ने एक सप्ताह नमक छोड़ दिया, बगैर नमक के खाना खाया। एक सप्ताह के बाद मां कस्तूरबा से उन्होंने कहा यदि आप नमक खाना छोड़ दें तो आपको जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। कस्तूरबा जी ने तुरंत कहा कि पहले आप तो नमक खाना छोड़ दीजिए उसके बाद हमें बताइएगा। गांधी जी ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने एक सप्ताह पहले से नमक छोड़ दिया था, इसके बाद मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप छोड़ दीजिए। इसका असर पड़ा और कस्तूरबा जी ने नमक छोड़ा।

हम जब खुद पर देखते हैं कि उससे हमें तकलीफ न हो, वही अहिंसा है और उसको ही दूसरे के ऊपर लागू करें।

आत्मा के संबंध में एक दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ। गांधीवाद के दूसरे स्वरूप में हम लाल बहादुर शास्त्री जी को लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने गाड़ी खरीदी और करीब आठ हजार रुपए का कर्ज गाड़ी के लिए अवशेष रह गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद बैंक वालों ने शायद वह कर्ज माफ कर दिया। लेकिन जब ललिता शास्त्री जी को पता चला कि बैंक वालों ने लाल बहादुर शास्त्री के कर्ज को माफ कर दिया है तो उन्होंने तुरंत वहाँ सम्पर्क स्थापित किया और उसी गाड़ी को बेचकर उन्होंने कर्ज की अदायगी की, इसलिए की कि शास्त्री जी की आत्मा जो स्वर्ग में है उसको तकलीफ न हो। यह एक दूसरे की आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, पति पत्नी के संबंध का हमारे सामने उदाहरण है।

अब महाभारत काल में जाइए। महाभारत की लड़ाई क्यों हुई? द्रोपदी के विरुद्ध कौरवों ने जो अन्याय किया, हिंसा का स्वरूप लिया उसकी परिणति महाभारत में हुई और कौरवों का विनाश हो गया। दूसरा स्वरूप मैं आपके सामने रावण का रखता हूँ। रावण, सीता और राम का उदाहरण आपके सामने है। सीता का हरण हुआ। हिंसा प्रवृत्ति अपनायी गयी। फिर उदाहरण आपके सामने है। उसकी परिणति लंका के विनाश में हुई।

यहां पर दूसरा एक और पक्ष रखना चाहता हूँ। इस देश में सती प्रथा चल रही थी। सती प्रथा की पीड़ा राजा राम मोहन राय के दिल में उठी। वह सामाजिक दुर्व्यवस्था थी और राजा राम मोहन राय ने पूरे हिंदुस्तान में उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा और आंदोलन छेड़ने के बाद इस देश में सती प्रथा को समाप्त करने में उन्हें सफलता मिली। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि यहां विधवा विवाह वर्जित था। लेकिन सरस्वती दयानंद ने इसके लिए संघर्ष किया और आंदोलन किया तथा उसको सामाजिक मान्यता प्रदान की गई। मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। पति और पत्नी के रूप में हमारे यहां जो शादी की प्रथा है, यह एक सामाजिक प्रथा है। यह कानूनी प्रथा नहीं है। कानूनी शादी दूसरे देशों में होती होगी, हमारे देश में नहीं है।

हमारे देश में तो सामाजिक बंधन है। दो आत्माओं के बंधन को हम शादी का स्वरूप देते हैं, पति-पत्नी का स्वरूप देते हैं। यह मान्यता हमेशा से रही है और आज भी है। एक-दो परसेंट कहीं भूले-भटके कोर्ट मैरिज हो जाती होगी तो वह अलग बात है, लेकिन मान्यता आज इसी की है। मैं विद्वानों के रूप में कहना चाहता हूँ। वेदों के ज्ञाता में हमारे यहां गागी का नाम लिया जा सकता है और बहादुर महिलाओं में हमारे यहां रानी लक्ष्मी बाई का नाम लिया जा सकता है। आज हमारे देश में जो परिस्थितियां चल रही हैं, उन कुरीतियों के विपरीत, जैसे आज हमारे भाई और बहनों ने यहां पर उदाहरण रखे हैं, उसी प्रकार एक पहलू हम यह भी रखना चाहते हैं कि जैसे एक गिलास में पानी है, आधा खाली है और आधा भरा हुआ है, तो इसे दोनों रूप से देखा जाता है। मान लीजिए आज हमारे यहां कोई आईपीएस हो गया, तो उसकी पत्नी चाहे बगैर पढ़ी-लिखी हो या पढ़ी-लिखी हो, आईपीएस मानी जाएगी, क्योंकि वह पुलिस कप्तान की पत्नी है, जिलाधिकारी हो गया तो कलेक्टराइन मानी जाती है, मास्टर हो गया, तो मास्टरानी मानी जाती है। हमारे सामने दोनों पहलू हैं। आज भी घर का मालिकाना हक पत्नियों के हाथ में ज्यादा रहता है। अब यह जो नई सभ्यता है टेलीविजन की सभ्यता और अन्य जो सभ्यताएं हैं, कहीं न कहीं इसका कुरूप धारण कर रही हैं। जिसको हम तथाकथित सभ्य समाज के रूप में लेते हैं उनके यहां ज्यादा प्रथा है, लेकिन जो पुरानी सभ्यता में अभी भी चल रहे हैं, कम विकसित लोग हैं, उनमें दहेज के लिए जलाना या दहेज के लिए मारने जैसी कुरीतियां नहीं आई हैं, लेकिन जो सभ्यता में आगे अपने को प्रस्तुत करते हैं उनके यहां ज्यादा होती हैं। हम कानून से ही इन कुरीतियों पर बंदिश नहीं लगा सकते, इसके लिए हमको उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जो महात्मा गांधी ने किया और अन्य लोगों ने किया। ये सारी बातें हैं। आज निश्चित तौर पर देश की महिलाओं के लिए और अच्छे समाज के लिए यह माना जाता है कि परिवार में बिन घरनी घर भूत समाना। बगैर घरनी के घर अच्छा नहीं चल सकता है। जितनी अच्छी हमारे परिवार की महिलाएं होंगी उतना अच्छा परिवार होगा। बच्चे अच्छे संस्कार प्राप्त करेंगे। पुत्र और पुत्रियां यदि पढ़ी-लिखी होंगी, सुशिक्षित होंगी, तभी अच्छा समाज बन सकेगा। लेकिन यदि हिंसा से वे लोग उत्पीड़ित होंगे, किसी भी प्रकार के भय से उत्पीड़ित होंगे तो उनका दिमाग भी विकसित नहीं हो सकता है। उनकी सारी क्षमता में ह्रास होगा। ये सारी चीजें और बुराइयां हैं जिनको दूर करने के लिए हमें विचार करना चाहिए।

मान्यवर, हमारे देश में महिलाओं की मान्यता में कोई कमी मेरे ख्याल से जो आई है उसको समाप्त करने के लिए सामाजिक आंदोलन की भी जरूरत है। हमारी बहनें जो हैं, मैं उनसे यह अर्ज करना चाहूंगा कि अगर लड़की आपकी गोद में पैदा होती है तो गांव में सोहर नहीं गाया जाता और लड़का पैदा होता है तो गांव में सोहर गाया जाता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लड़की का जन्म दिवस आप नहीं मनाती हैं और लड़के का जन्म दिवस हो तो जरूर मनाती हैं। ये कुरीतियां केवल पुरुषों की तरफ से ही नहीं हैं, माताओं की तरफ से हैं, इसलिए भी आपको ध्यान देना चाहिए और इसका भी आंदोलन आपको करना चाहिए। अगर आप सास बनती हैं तो क्या लड़के लिए तिलक नहीं लेती? इस पर भी आपको गौर करना चाहिए। पहली बहु घर में आएगी और तिलक नहीं आया तो आप कहेंगी कि यह कुलटिन है, इसके पास कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी बहु जो तिलक, पैसा और सम्पत्ति ले कर आएगी, उसकी इज्जत आप ज्यादा करेंगी। जो लड़का आपका नौकरी कर रहा है, अच्छी जगह पर है, उसकी पत्नी पर आप ज्यादा ध्यान देंगी। जो आपका पुत्र कम पढ़ा-लिखा है, घर पर खेती-बाड़ी करता है, उसकी बहु को आप दूसरे दर्जे का मानती हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं। क्या खाली

पुरुष ही जिम्मेदार हैं ? इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं । हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि गांव में जब लड़का पैदा होता है तो बहुत खुशी माताएं भी मनाती हैं, हो सकता है, लेकिन इस मनोविज्ञान को आपको समाप्त करना पड़ेगा । हमने दो लाइनें लिखी हैं उनको आपको सुनाकर हम खत्म करेंगे ।

राम, कृष्ण, करीम की माता । भगवान गॉड, रहीम की माता ।।

ब्रह्मा, विष्णु, महेश की माता । जीव-जन्तु, सर्वेष की माता ।।

तू है माता पूज्य हमारी । चलती दुनिया तुम से सारी ।।

तू है पुत्री, तू है बहना । तू सहघर्मी जीवन गहना ।।

माता रूप तुम्हारा न्यारा । तेरा पूजन सब से न्यारा ।।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि महिलाओं का सम्मान पहले हो क्योंकि जिस घर में महिलाओं का सम्मान होगा, वह घर संपन्न होगा, अगर सारा घर संपन्न है तो गांव संपन्न होगा और गांव संपन्न है तो जिला, प्रदेश और देश संपन्न होगा । यह खुशी की बात है कि हमारे देश की महिलाएं यहां भी नेतृत्व कर रही हैं । आज इस उच्च सदन में बैठी हैं । इसलिए हम इन्हें किसी तरह से पीछे न समझें और मेरी विचार से वे कहीं भी पीछे नहीं हैं । इन के सम्मान के साथ सारे देश का सम्मान जुड़ा है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

**डा० प्रभा ठाकुर (बिहार) :** उपसमाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा चल रही है । सदन की माननीय सदस्या श्रीमती सरला माहेश्वरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव के समर्थन में अपने बहुमूल्य सुझाव और विचार व्यक्त किए हैं ।

महोदय, यह विषय हालांकि महिलाओं से जुड़ा हुआ है, महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह चिंता केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है । यह विषय कोई पुरुष वर्सस महिला नहीं है । जिस तरह समाज के अन्य कमजोर तबकों की बात आती है तो पूरा समाज उन की चिंता करता है, यह भी उसी तरह का एक विषय है और यह संभव भी नहीं है कि समाज में सिर्फ महिलाओं के चाहने से कुछ हो या पुरुषों के चाहने से कोई क्रांति या विकास हो क्योंकि पुरुष और स्त्री दोनों ही बराबरी से समाज के पहिए हैं जिस पर पूरी प्रकृति आधारित है, जिस से प्रकृति की गाड़ी चलती है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और अगर दोनों में से एक की भी स्थिति कमजोर बनती है तो समाज का ढांचा कमजोर बनता है, समाज पिछड़ता है । इसलिए यह विधेयक भले ही स्त्रियों से संबंधित हो, लेकिन यह पूरे समाज की चिंता का विषय है ।

महोदय, ऐसा भी नहीं है कि इस विषय में आज ही चर्चा हो रही हो, पहले भी अनेक बार इस सदन में इस विषय पर चर्चा होती रही है । अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स पर, यूनाइटेड नेशंस में चिंता और चर्चा होती रही है । अनेक अंतर्राष्ट्रीय महिला संगठनों के सेमिनार आयोजित होते रहे हैं । विभिन्न राज्य सरकारों के महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग में महिलाओं के शोषण और उत्पीड़न को लेकर, उन के उत्थान और विकास को लेकर चिंता और चर्चा होती रही है ।

महोदय, यह इस देश की सांस्कृतिक विरासत रही है कि स्त्री और पुरुष को एक अर्ध-नारीश्वर की परिकल्पना के माध्यम से देखा गया है। हमारे यहां किसी को, किसी से कम नहीं आंका गया है। यह भारतीय संस्कृति का मूल है। अर्ध-नारीश्वर की परिकल्पना ही इस बात का संकेत है कि पुरुष और स्त्री दोनों ही प्रकृति में बराबर के हिस्सेदार हैं, कोई किसी से अधिक नहीं है और न कोई कम है। इसीलिए पुराने समय में स्त्री को अनेक अलंकारों से विभूषित किया गया है। उसे मातृशक्ति के रूप में शक्ति के रूप में, देवी के रूप में विभूषित किया गया है और कहा गया है कि, "यत्र नारी पूज्यते, रमते तत्र देवता।" यह इस देश की सांस्कृतिक विरासत रही है, लेकिन कालांतर में समाज में कुछ कुरीतियां कुछ कारणों से पैदा हुईं और ऐसी स्थितियां बनीं कि गुप्त जी जैसे कवि को कहना पड़ा कि, "अबला जीवन, हाथ तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी।" यह स्त्री की एक चिंताजनक स्थिति बनी। ऐसा नहीं है कि स्त्री का शोषण या उत्पीड़न सिर्फ हमारे देश तक सीमित हो, ऐसी स्थिति विश्व के अनेक देशों में है। यह स्थिति दूर होनी चाहिए क्योंकि स्त्री जिसे शक्ति कहा जाता है, मातृ शक्ति कहा जाता है, जब तक वह पूर्णतया शक्ति के रूप में अपने काम को अंजाम नहीं दे पाएगी, जब तक पूर्ण क्षमतावान नहीं हो पाएगी तब तक हमारा यह समाज पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता, शक्तिशाली नहीं हो सकता।

महोदय, मुझे एक शेर याद आ रहा है, जो पाकिस्तान की एक बहुत ही प्रसिद्ध शायिरा का है -

मैं हां कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी।

और, वह झूट बोलेगा मगर लाजवाब कर देगा।

महोदय, कभी-कभी ऐसी स्थितियों से भी गुजरना होता है। मैं महसूस करती हूँ कि समाज में कुछ ऐसी स्थितियां भी बनीं कि स्त्री को आर्थिक आधार पर कमजोर आंका गया। स्त्री शारीरिक रूप से कमजोर है, मगर आत्मिक रूप से पुरुष से अधिक संकल्पशील है क्योंकि उसमें अधिक सहनशक्ति होती है। पुरुष शारीरिक रूप से अधिक ताकतवर है, पुरुष अर्थोपार्जन करने में अधिक सक्षम है, लेकिन स्त्री घर को, परिवार को संभालने में अधिक सक्षम है। यह प्रकृति की एक देन है। आज हम सब के घरों में, परिवारों में सभी ग्रह चाहते हैं कि बच्चियां आगे बढ़ें, इसलिए उनको हम पढ़ा रहे हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में, चाहे वह उद्योग हो, विज्ञान हो, कला हो, साहित्य हो, पत्रकारिता हो, राजनीति हो, यकालत हो, डाक्टरी हो, जहां भी उसे अवसर मिलता है उसमें अपनी क्षमताओं को सिद्ध करती है। इस निरंतर चिंतन और विचार की प्रक्रियाओं से आज यह स्थिति आई है कि महिलाओं की सोच में भी बहुत फर्क आया है। अगर आज महिलाएं शोषित और उत्पीड़ित हैं तो मैं मानती हूँ कि उसकी जिम्मेदार न केवल सरकार है, न केवल पुरुष है बल्कि समाज में महिलाएं भी उतनी ही जिम्मेदार हैं। हम देखते हैं कि आज के शिक्षित समाज में कन्याओं की भ्रूण हत्या के लिए बहुत जगहों पर हमारी शिक्षित महिलाएं जिम्मेदार होती हैं, यह समाज जिम्मेदार होता है क्योंकि यह एक सामाजिक मान्यता बन गई है और महिलाएं यह महसूस करती हैं कि अगर वह पुत्र को जन्म नहीं दे सकेंगी तो समाज में कहीं उपेक्षित रहेंगी, समाज में असुरक्षित रहेंगी या उसका प्रभाव समाज में कम हो जाएगा। महिला को यह एक संस्कारगत सोच मिली हुई है। आज के शिक्षित समाज में यह तो जागृति आ गई है कि दो से अधिक संतान नहीं चाहिए, लेकिन यह सोच बाकी है कि पुरुष संतान जरूर

चाहिए। जब तक शिक्षित महिलाओं के नजरिए में, सोच में बदलाव नहीं आएगा कि उसकी दृष्टि में बालक और बालिका एक जैसे हैं, तब तक खाली सरकार के कहने से इस पूरे ढांचे में सुधार और बदलाव नहीं आ सकता। महात्मा गांधी जी ने एक जगह कहा है कि एक पुरुष जब शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो एक पूरा परिवार, एक पूरा समाज शिक्षित होता है।

महोदय, मेरे पास यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग की 2001-2002 की रिपोर्ट है, इसमें से एक छोटा सा अंश मैं उद्धृत करना चाहूंगी। इसमें महिलाओं के घरेलू उत्पीड़न के मामले में लिखा है कि आई.पी.सी. की धारा 498(ए) के अधीन पंजीकृत महिलाओं के विरुद्ध रिपोर्ट किए गए सभी अपराधों के 36 प्रतिशत मामलों में पति, उसके रिश्तेदारों द्वारा निर्दयता और यातना शामिल है। जिसके बाद आता है छेड़छाड़ का, जो 26 प्रतिशत तथा अपहरण 14 प्रतिशत मामलों का उल्लेख है। वर्ष 1998 से 1999 में अपराध का पैटर्न दहेज मृत्यु तथा महिलाओं और लड़कियों के अपहरण के मामलों में थोड़ी गिरावट दिखाता है, परन्तु यौन-उत्पीड़न तथा घर में निर्दयता के मामलों में तीव्र वृद्धि दर्शाता है।

महोदय, जब आज शिक्षा का विकास हो रहा है और हम विकास की बातें कर रहे हैं तब उस सदी में अपराधों में ह्रास के बजाय स्त्रियों के शोषण और उत्पीड़न में इस तरह की वृद्धि हो, यह पूरे समाज के लिए एक शर्म का विषय है, यह एक सुसंस्कृत, शिक्षित और सम्यक् समाज के लिए एक कलंक की बात है। ऐसी स्थितियों में महिलाओं को उभारने के लिए कुछ व्यावहारिक और ठोस कदम उठाए जाने आवश्यक हैं, कुछ सरकार द्वारा, कुछ समाज द्वारा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यहां एक जिक्र यह करना चाहूंगी कि ग्रामीण स्तर पर जब से महिलाओं को पंचायतों और नगर परिषदों में आरक्षण दिया गया है, तब से बहुत क्रांतिकारी बदलाव आया है। इससे सोच में यह परिवर्तन आया है कि गांव में जो औरतें घूंघट में रहा करती थीं और शुरु में जिनका मजाक बनाया जाता था कि यह तो सरपंच पति की और सरपंच प्रधान की पत्नी है, कुछ ही महीनों में उन महिलाओं के व्यवहार और कार्यकलाप में भारी बदलाव आया क्योंकि कोई भी पेट से या जन्म से सीखकर नहीं आता। इसलिए जब उन स्त्रियों पर भार पड़ा, उन्होंने काम करना सीखा तो वे घूंघट से बाहर आईं। उन्होंने अपनी क्षमता और शक्ति को पहचाना और उसे प्रमाणित भी किया और उनकी सोच में ग्रामीण स्तर तक यह बदलाव आया और उन्होंने महसूस भी किया कि वाकई समाज में लड़की का शिक्षित होना कितना आवश्यक है। जब तक एक महिला की दृष्टि में यह बदलाव नहीं आएगा कि वह लड़के के समान ही लड़की को आगे बढ़ने के समान अवसर दे, समाज में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। लड़के में चाहे प्रतिभा हो या न हो, मां-बाप को हमेशा चिंता रहती है कि इसे इंजीनियर बनाना है, इसे डाक्टर बनाना है जबकि लड़की के लिए शुरु से ही यह मानसिकता रहती है कि यह तो पराया धन है, इसे दूसरी जगह जाना है और यही विरासत में चलता चला आ रहा था। लेकिन अब ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की दृष्टि में एक बदलाव आया है और इसने एक नई सोच को जन्म दिया है। आज गांव में महिलाएं भी सोचने लगी हैं कि हम भी इस पद पर बैठ सकती हैं, हम भी सरपंच बन सकती हैं, हम भी राज कर सकती हैं, हम भी कुछ बोल सकती हैं।

यहां मैं यह भी कहना चाहूंगी कि पिछले कई सत्रों से महिला विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया लोक सभा में लम्बित है, इस विधेयक को भी जल्दी से जल्दी पारित होना ही



चाहिए क्योंकि महिलाओं को जितनी अधिक मजबूती मिलेगी, जितनी अधिक संख्या में वे संसद में, विधान सभाओं में या ऐसे स्थानों पर जाएंगी, उतनी ही वे महिला हितों और हकों के लिए आवाज उठा सकेंगी और उतनी ही वे सक्षम और समर्थ हो सकेंगी ।

मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाओं की समाज में और अधिक मजबूती के लिए सबसे पहली कुंजी है शिक्षा । हम देख रहे हैं कि आज समाज में काफी बदलाव आया है, शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें पर्याप्त अवसर मिलने लगे हैं, वे शिक्षित होने लगी हैं और महिलाएं उस क्षेत्र में क्षमता से काम कर रही हैं । शिक्षा के द्वारा ही आर्थिक आत्मनिर्भरता आती है । आज सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से और आर्थिक रूप से चूंकि महिला आश्रित है इसीलिए उसकी शोषण और उत्पीड़न की स्थिति है । तो शिक्षा ही एक सबसे बड़ा समाधान है जिससे उसको आत्मसम्मान मिल सकता है, आर्थिक आत्मनिर्भरता मिल सकती है, वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है और आर्थिक आत्मनिर्भरता से ही उसकी स्थिति समाज में मजबूत हो सकती है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक तो यह पक्ष है और दूसरा कानूनी पक्ष भी है । कई बार तलाक की स्थिति में हम देखते हैं कि बहुत मामूली सी रकम एक तलाकशुदा स्त्री को उसके भरण-पोषण के लिए दी जाती है जिससे बात नहीं बनती है । समाज में अगर स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया तो उसको अर्धांगिनी का दर्जा तभी मिलेगा जब वह वस्तुतः कानूनी रूप से पति की सम्पत्ति में पूरी आधी हिस्सेदार बने । अगर कानूनी रूप से पत्नी को पति की सम्पत्ति का आधा उत्तराधिकारी माना जाए, उसको बराबर का हिस्सेदार माना जाए तो उसकी स्थिति अपने आप समाज में, परिवार में, अपने घर में मजबूत बन जाएगी । स्त्री कहाँ जाएगी अपना घर-परिवार छोड़कर ? कोई स्त्री अपनी गृहस्थी, अपना घर-परिवार, अपने बच्चों और सामाजिक मान-सम्मान को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती है, इसलिए अगर कानूनी रूप से उसकी स्थिति अच्छी बनेगी तो कोई पुरुष या ससुराल पक्ष का कोई भी व्यक्ति उसकी प्रताड़ना नहीं कर सकेगा, बल्कि ऐसी स्थिति होने पर यदि दृष्टावस्था में वह अकेली भी रह जाएगी तो संतान द्वारा भी उसे उपेक्षा का शिकार नहीं होना पड़ेगा क्योंकि वह सक्षम होगी । ..(समय की घंटी)..

अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मैंने शायद काफी समय ले लिया है कि दहेज आदि के मामलों में या विधवा होने पर या परित्यक्ता की स्थिति में, जहां महिला क्रूरता और प्रताड़ना का शिकार होती है, ऐसी क्रूरता या प्रताड़ना करने वाले लोगों को, जो स्त्रियों का शोषण और उत्पीड़न करते हैं, कठोर से कठोर दंड दिया जाए । स्त्री का शोषण करते हैं । ऐसा होने पर ही समाज में और अधिक बदलाव आएगा और मुख्य रूप से बदलाव तभी आएगा जब स्त्री शिक्षा की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से आत्म-निर्भर होगी, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी । धन्यवाद ।

**श्रीमती सरोज दुबे (बिहार) :** धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय, आज जब हम घरेलू हिंसा से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार कर रहे हैं तो मुझे पुरानी पीढ़ी का नेतृत्व करती हुई माननीया महादेवी वर्मा की वह पंक्तियाँ याद आती हैं जिसमें नारित्व को अभिशाप बताते हुए कहा कि:

"चाहे हिन्दू नारी की गौरव गाथा से आकाश गूँज रहा हो, चाहे उसके पतन से पाताल कांप उठा हो परन्तु उसके लिए तो "सावन हरे न भादों सूखे" की कहावत चरितार्थ होती रही है । उसे अपने हिमालय को लजा देने वाले उत्कर्ष तथा समुद्र तल की गहराई से स्पर्द्धा करने वाले

अपेक्षित दोनों का इतिहास अपने आंसुओं से ही लिखना पड़ता है और संभव है कि भविष्य में भी लिखना पड़े। शिक्षा के अभाव में और परिस्थितियों की विषमता के कारण स्त्रियाँ प्रगति को नहीं अपना सकीं। सिमोन डि कोउवा की एक उक्ति बड़ी बहुआयामी और सार्वभौमिक है कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है।"

जब उन्होंने यह बातें लिखी थी तो उस समय सम्मिद थी कि जब नई पीढ़ी आएगी तो स्त्रियों का इतिहास बदल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं अपने परिवार का इतिहास आंसुओं से ही लिखती हैं। तो महोदय, मैं सरला जी को बधाई देना चाहती हूँ कि जो घरेलू हिंसा के संगीन अपराध पर रोक लगाने के संबंध में यह विधेयक लाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 2002 को एक सरकारी विधेयक पेश किया गया -घरेलू हिंसा संरक्षण विधेयक। यह लोक सभा में पेश हुआ और इस भूमिका के साथ कि यह राष्ट्रीय महिला आयोग और महिला संगठनों के प्रारूपों पर आधारित है। लेकिन महोदय, जब इस बिल का हम लोगों ने गहराई से अध्ययन किया तो हमारा माथा ठनका कि यह बिल तो महिलाओं के घरेलू हिंसा को एक प्रकार से वैधता देने वाला बिल आ गया है और हम लोग तो इसके नाम से आकर्षित हो गए हैं। अतः इसके किसी बहकावे में नहीं आएँ। इसी से प्रेरित होकर सरला जी को तमाम महिला संगठनों ने एक प्रारूप दिया, इनको अपने सुझाव दिए और उसी पर आधारित यह बिल आया है ताकि आज जो सरकारी विधेयक स्टैंडिंग कमेटी में विधाराधीन है उस बिल में सुधार लाया जा सके। घरेलू हिंसा संरक्षण विधेयक 2001 की जो बातें हैं उसमें कहा गया है कि "पति यदि आदतन पिटाई करता है या अपने आचरण और क्रूरता से पत्नी का जीवन नारकीय बनाता हो, पत्नी को अनैतिक आचरण करने को बाध्य करता हो, यदि पति अपना बचाव या अपनी या दूसरे की प्रोपर्टी की हिफाजत के लिए हिंसा का सहारा लेता है तो उसे हिंसा नहीं माना जाएगा।" हम रोज मार खाएँ या एक दिन बहुत कसकर मार खाएँ, वह हिंसा तो है ही। तो इसमें एक प्रकार से उस हिंसा करने वाले को वैधता दे दी गई कि तुम जब चाहे मारो। अब पति तो इतनी चालाक चीज होता है कि वह कोई भी बहाना बता सकता है कि प्रोपर्टी की रक्षा के लिए हमने इसको मारा या अपने बचाव के लिए उसको मारा और पत्नी उसी तरह से घरेलू हिंसा को सहती रहती है। इस तरह वे इसको अपनी तरफ से परिभाषित कर सकते हैं। हिंसा को आदतन हेविच्युल कहके उसको वैधता प्रदान की गई। यह बहुत खतरनाक संकेत है। इसीलिए सरला जी जो इस समय विधेयक लाई हैं वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।... .., (व्यवधान)...

श्री संघ प्रिय गीतम : सरोज जी, एक बात। करवा चीथ होती है लेकिन धर्मा पंचमी क्यों नहीं होती। करवा चीथ को पत्नी अपने पति के लिए ब्रत रखती है, श्रृंगार करती है। आप अपनी सामाजिक व्यवस्था में एक दिन ऐसा क्यों नहीं रखती हैं कि पति भी अपनी पत्नियों के धरण धुएँ और उसके लिए प्रार्थना करे। इसे आप क्यों नहीं स्वीकारती हैं .., (व्यवधान)...

श्रीमती सरोज बुबे : यह ब्रत किसने बनाए हैं? यह ब्रत तो आपने ही बनाए हैं। गणेश चतुर्थी बेटे के लिए, करवा चीथ पति के लिए और संकट चीथ का ब्रत बेटे के लिए होती है। बेटों के नाम पर तो कोई ब्रत ही नहीं है। आप भी करवा चीथ रखिए, निर्जल ब्रत रहिए। तीज करिए। तीज पर महिलाएं तीन-तीन दिन तक ध्यासी रहती हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचीरी) : चलिए बोलिए।

**श्रीमती सरोज दुबे :** इसीलिए कहा गया है कि हमारे समाज में रुढ़ियों ने कहीं-कहीं परम्पराओं का और कहीं-कहीं धार्मिक रूप ले लिया है। जब इसने धार्मिक रूप ले लिया तो इसने हमें बंदिनी बना डाला और हम बंदिनी होकर उस पति-परमेश्वर की, अत्याचार करने वाले पुरुष की पूजा करते रहते हैं। हमारा समाज उतना जागृत नहीं हुआ है, क्योंकि सारे बंधन, सारी परम्पराएं सब कुछ पुरुष प्रधान समाज को बनाया हुआ है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की 1998 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ 2200 हिंसा की घटनाएं घटीं और 2001 के पहले तीन महीने में घरेलू हिंसा के 137 मामले आये। ये 137 केवल इसलिए आये क्योंकि ये महिलाएं साहस जुटा पाईं अपने परिवार वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का। जिन्होंने भी बोलने की हिम्मत करी, उन्हें कुलटा, कलंकनी, घर तोड़ने वाली न जाने कितने विशेषणों से सम्बोधित किया गया और उनको प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया गया। समाज और घर वाले भी पति के साथ हो जाते हैं, वे किसी महिला का साथ नहीं देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि महिला अकेली हो जाती है, महिला को और उसके बच्चों को मारपीट कर घर से निकाल दिया जाता है। इसमें यह नहीं बताया गया है कि जिस महिला को घर से मारपीट कर निकाल दिया गया है, उसको कहां पर संरक्षण मिलेगा। उसके बच्चों को कहां रखा जायेगा। उनका खर्चा कौन देगा। एक प्रोटेशन आफिसर भी बना दिया गया है जो कि पीड़ित महिला को समझायेगा, वह तो पहले से ही दुराग्रह से ग्रसित होता है। वह पत्नी पर प्रभाव डालकर अपनी शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डालेगा, उसको शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर करेगा। इसलिए इन सारी बातों को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि यह जो विधेयक आया है यह महिलाओं को हिंसा से ज्यादा बचा नहीं पायेगा। यह उन्हें घरेलू हिंसा से कोई ज्यादा राहत देने वाला नहीं है। हमारी बहन रीता जी हमेशा महिलाओं की लड़ाई लड़ती रही हैं, वे यहां पर बैठी हैं, मुझे उम्मीद है कि वे इस बारीकी को समझते हुए, वे अभी मुस्करा रही हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वे एचआरडी मिनिस्टर से झगड़ा करके जरूर सुधार करवायेंगी ताकि महिलाओं को राहत मिल सके। ...**(व्यवधान)**... तमाम महिला संगठन हैं, वे काम करेंगे। महिलाओं के लिए घर से ज्यादा महफूज और कोई जगह नहीं मानी जाती है। कहते हैं कि घर में घले जाओ वहां पर महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन आज वही घर करोड़ों महिलाओं के लिए आतंक का डेरा बना हुआ है। न वह मायके में सुरक्षित है और न वह ससुराल में सुरक्षित है। महिलाओं को अजनबियों से खतरा होता है, लेकिन उससे ज्यादा खतरा नजदीकी रिश्तेदार, दोस्त और मित्रों से होता है। जब अजनबियों से कोई हमला हमारे ऊपर होता है तो हम पुलिस रिपोर्ट उनकी कर सकते हैं, लेकिन जब घर के रिश्तेदार, नातेदार उत्पीड़न करते हैं, तो उसकी शिकायत करने का साहस कोई महिला नहीं कर पाती है। इसीलिए घर में मारपीट का, घरेलू हिंसा का जो रूप है उसको सार्वभौमिक रूप मिल गया है। यह केवल हमारे यहां नहीं है, यह उत्पीड़न पूरे विश्व में चल रहा है, चाहे हिन्दुस्तान हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, हर जगह महिला उत्पीड़न की दास्तान एक सी चल रही है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर वर्ग की महिलाओं को हिंसा का शिकार होना पड़ता है। "अपना घर" की कल्पना बहुत खूबसूरत है। जब हम कहते हैं कि यह हमारा घर है, अपना घर है, उस घर की कल्पना होती है, सुंदर-सुंदर कल्पनाएं होती हैं, प्यार और वात्सल्य से भरा हुआ घर, एक सजा-सजाया घर, लेकिन उस घर के बंद दरवाजे के पीछे उस महिला की चीख कोई नहीं सुन पाता है क्योंकि वह अपने पति-परमेश्वर की मार को भी वह समझती है कि गलती मेरी ही है। अगर पति दफ्तर में डांट खाकर आता है तो उसका गुस्सा पत्नी पर उतरता है, अगर पति जुआ में हार जाए तो पत्नी मार खाती है, अगर लाटरी में हार

जाए तो पत्नी मार खाती है। वह पांच सौ रुपया तनख्वाह पायेगा और लाटरी में हजार रुपये हार जायेगा तो इसका गुस्सा भी वह पत्नी पर निकालता है। अगर घर में मेहमान आ जाता है और कोई गड़बड़ हो जाती है तो पत्नी मार खायेगी। सारा दोष पत्नी पर ही डाल दिया जाता है। एक कहावत है, "घोबी से जीते नहीं, तो गधे के कान खींचे।" घर में आये और पत्नी को धुन दिया और पत्नी भी बेचारी मार खाने को विवश है। एक सर्वे में आया है कि 56 प्रतिशत महिलाएं अपनी गलती मानती हैं, घरेलू हिंसा में वे अपनी गलती मानती हैं। वे सोचती हैं कि हमने गलती करी है इसीलिए पति ने हमको मारा है। सारा कसूर पत्नी का मानकर उसको बेरहमी से मारा जाता है। जब पति पत्नी को मारता है तो उससे केवल पत्नी ही प्रभावित नहीं होती है, उसके बच्चे भी प्रभावित होते हैं क्योंकि बच्चे बीच में बचाने आते हैं या जब उस क्रूर व्यवहार को देखते हैं तो उनके कोमल दिमाग पर उसका असर पड़ता है और परिणामस्वरूप अगली पीढ़ी भी बर्बाद होती है, वह भी हिंसक हो जाते हैं, वह भी हठी हो जाते हैं। इसलिए इसके बड़े दूरगामी असर होते हैं। महोदय, हमारा पारम्परिक रक्षक कौन माना जाता है। पति हो या चाचा, मामा, भाई, पिता लेकिन आजकल हम अखबारों में देखते हैं कि रिश्तों की पवित्रता का कोई मायना नहीं रह गया है। कहीं पिता ने पुत्री को घरेलू हिंसा का शिकार बना डाला तो कहीं बहुत नजदीक के रिश्तेदार ने महिला से दुर्व्यवहार कर दिया। महोदय, हमारे सामने मीडिया जो हिंसा व सेक्स परोस रहा है, उसका नतीजा यह हो रहा है कि रिश्तों की पवित्रता एकदम खत्म हो गयी है। पिता के खिलाफ कोई बेटी कम्प्लेंट नहीं लिखा सकती, चाचा के खिलाफ कोई बेटी कम्प्लेंट नहीं लिखा सकती। गलती करते हैं वह लोग और वह बेचारी शर्म के मारे पीड़ा को झेलती रहती है और उसका फायदा उठाकर पुरुष और क्रूर होता धला जाता है और अत्याचार करता रहता है। महिला जब ससुराल में आती है तो वहां पति मारता है। मां-बाप द्वारा लड़की को समझा दिया जाता है कि देखो, तुम्हारी डोली यहां से जा रही है, अब उस घर से तुम्हारी अर्थी ही बाहर निकले। इस तरह की बातें उसे समझाई जाती हैं। महोदय, हमारे महान कवि तुलसीदास जी ने भी कह दिया कि

ढोर, गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी।

जब हम लोग यहां पर डोमैस्टिक वॉयलेंस पर विचार कर रहे थे तो दुबई के कोर्ट ने एक आदेश किया था कि पत्नी को अनुशासन में रखने के लिए उसको पीटने का पूरा अधिकार है, बशर्ते चोट ज्यादा गहरी न हो। यह दुबई का मत है कि महिलाओं को मारोगे तभी वह अनुशासित रहेगी - यह कोर्ट कह रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि

ढोर, गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी।

अभी गौतम जी कह रहे थे कि कबीरदास जी ने महिलाओं के सुधारों की बड़ी बातें की हैं तो मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि कबीरदास जी ने लिखा था कि

नारी की झाई परत,  
अंधा होत भुजंग,  
कबिरा तिनको कौन गति,  
जो नित नारी संग ।

अब बताइए, हम काले सांप से भी ज्यादा खतरनाक हो गये हैं । आप प्रशंसा गाते चले जा रहे हैं । एक तरफ तो लिखते हैं कि "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता ।" और दूसरी तरफ लिखते हैं कि "नारी नरकस्य द्वारं ।" इसका क्या मतलब है ? इतनी विसंगतियाँ भर दी गयी हैं । एक तरफ देवी और दुर्गा बनाकर आसन पर बिठा दिया । लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, दुर्गा...

(समय की घंटी) महोदय, अभी तो मैंने शुरू किया है ।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) :** अभी शुरू किया है ।

**श्रीमती सरोज दुबे :** अभी तो बीच में भटक गये थे । महोदय, एक तरफ तो देवी बनाकर उसे आसन पर बिठा दिया जाता है और दूसरी तरफ उसे बोल-बाजे के साथ घर में ले आते हैं । महोदय, यह हिन्दुस्तान में ही परम्परा है कि लड़की को ब्याहकर घर में लाएंगे, दहेज भी लाएंगे और लड़की ने जैसे ही दहरी पार करी, दहेज की कमी का ताना देंगे और उसके बाद लड़के पक्ष वालों का तो लड़की के घर में एक रिकरिंग अकाउंट खुल जाता है कि जब जैसी जरूरत पड़ी, तब लड़की को मायके भेजकर उससे पैसा मंगा लेते हैं । लड़की चाहे जितना दहेज ले आए, उसको ताना देंगे, उसको मारेंगे, उसको खाने को नहीं देंगे, उसके मां-बाप को गाली देंगे । ये सारी बातें हो रही हैं । हमारे समाज में नारी की स्थिति यह है कि अगर वह गरीब घर में जाती है तो वह दासी बनकर ही जाती है और जितना चाहे, उस पर अत्याचार करो । अगर बड़े घराने में जाती है तो गुलदस्ते की तरह बनकर जाती है । सजा-धजाकर गुलदस्ते की तरह रख दी जाती है । बड़े घरानों के घर लड़के दारु पीकर आते हैं तब उसे मारते हैं और दूसरी तरफ श्रमिक आता है, तब उसे मारता है । इस तरह से उसकी बड़ी दुर्दशा है और उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं है क्योंकि अगर वह थाने में भी अपनी शिकायत लेकर जाती है तो पुलिस कहती है कि आपका मिया-बीबी का मामला है, आपस में निपट लो । पड़ोसी अगर संवेदना रखते हैं, तब भी वे बीच में नहीं आते कि यह मिया-बीबी का मामला है, कौन बोले । इस तरह से महिलाओं को चारों तरफ से घेर लिया गया है और उसको कहा जाता है कि पति का साथ हर हाल में निभाना । अगर वह लड़की लौटकर अपने मां-बाप के घर चली जाती है तो मां-बाप उसे रखने को तैयार नहीं होते हैं और स्थिति यह होती है कि घर में खाना बनाए महिला, अन्नपूर्णा कहलाती है । पहले खाना सास-ससुर को, पति को, देवर को, जेठ को और बेटे को देती है । फिर जो थोड़ा बहुत बचता है, वह बेटी को देती है और उसके बाद जो कड़ाही में थोड़ी बहुत सब्जी बच जाए या चोकर की रोटी बच जाए, उसको कड़ाही पोंछकर महिला खा लेती है । महोदय, यह हमारी लड़ाई कड़ाही

**5.00 P.M.**

से शुरू होती है । (समय की घंटी) हमें कड़ाही से पोंछकर रोटी खाने की परम्परा है, वहां से इस लड़ाई को शुरू करना होगा तब जाकर कहीं डोमैस्टिक बिल का फायदा हो सकता है । महोदय, अभी मैं थोड़ा और बोलना चाहूंगी ।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) :** श्रीमती सरला माहेश्वरी के इस निजी विधेयक पर आगे चर्चा शुक्रवार, 26 जुलाई, 2002 को जारी रहेगी । माननीय श्रीमती सरोज दुबे इस संबंध में आगे अपने विचार उस दिन व्यक्त कर सकती हैं । जिन अन्य माननीय सदस्यों ने बोलने के लिए नाम दिए हैं, उनको भी उस दिन बोलने का अवसर मिलेगा । अब सदन की कार्यवाही सोमवार, 22 जुलाई, 2002 प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

The House then adjourned at five of the clock, till eleven of the clock on Monday, the 22<sup>nd</sup> July, 2002.